30

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

['अनुदानों की मांगे (2021-22)' संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/अग्रहायण, 1943 (शक)

तीसवां प्रतिवेदन

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

['अनुदानों की मांगे (2021-22)' संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

01.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
01.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/अग्रहायण, 1943 (शक)

विषय सूची		
		पृष्ठ संख्या
समिति की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iii)
अध्याय I	प्रतिवेदन.....	
अध्याय II	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.....	
अध्याय III	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....	
अध्याय IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....	
अध्याय V	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं.....	
	अनुबंध	
I.	17 नवंबर, 2021 को आयोजित समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।*	
II.	चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	

* संलग्न नहीं है

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
4. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. सुश्री सुनीता दुग्गल
7. श्री जयदेव गल्ला
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. डॉ. सुकान्त मजूमदार
10. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
11. सुश्री महुआ मोइत्रा
12. श्री संतोष पान्डेय
13. श्री पी. आर. नटराजन
14. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
15. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
16. श्री संजय सेठ
17. श्री गणेश सिंह
18. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
19. श्री तेजस्वी सूर्या
20. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
21. **रिक्त**

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. श्री जॉन ब्रिटास
24. डॉ. सुभाष चन्द्र
25. श्री वाई. एस. चौधरी
26. श्री रंजन गोगोई
27. श्री सुरेश गोपी
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफर इस्लाम
30. श्री जवाहर सरकार
31. **रिक्त**

सचिवालय

1. श्री वाई .एम .कांडपाल - संयुक्त सचिव
2. डॉ .सागरिका दास - अपर निदेशक
3. श्री अभिषेक शर्मा - सहायक कार्यकारी अधिकारी

माचार भाग - दो, दिनांक 9 अक्टूबर, 2021 का पैरा संख्या 3184 के तहत समिति का 13 सितंबर, 2021 को गठन।

प्राक्कथन

मैं, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगो (2021-22)' संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. चौबीसवां प्रतिवेदन 10 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2021 को चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत की।

3. समिति की 17 नवंबर, 2021 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय-एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली;
29 नवंबर, 2021
8 अग्रहायण, 1943 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी
स्थायी समिति

अध्याय एक

प्रतिवेदन

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगे (2021-22)' से संबंधित समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. चौबीसवां प्रतिवेदन 10 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें कुल 17 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(i) सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है
सि. पैरा सं. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 तथा 17

कुल :11
अध्याय - दो

(ii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:-
सि. पैरा सं. शून्य

कुल : शून्य
अध्याय - तीन

(iii) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः -
सिफारिश पैरा सं. 1, 5, 14 तथा 15

कुल :04
अध्याय - चार

(iv) सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैः-
सिफारिश पैरा सं. 06 तथा 09

कुल: 02
अध्याय - पांच

3. समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। समिति चाहती है कि अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

.4समिति अब अपनी कुछ सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करेगी।

<u>बजट विश्लेषण - पर्याप्त आवंटन की आवश्यकता</u>

(सिफारिश क्र. सं. 1)

5. समिति ने नोट किया कि 13,886.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में, मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए बजट आवंटन 9720.66 करोड़ रुपये है जो मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि से 30% कम है। 9720.66 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में राजस्व खंड के तहत 9274.66 करोड़ और पूंजी खंड के तहत 446.00 करोड़ रु शामिल हैं। पिछले वर्ष के दौरान, 11,023.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में, बजट आवंटन 6899.03 करोड़ रु .हुआ जिसमें 37.41% की कमी थी। हालांकि, प्रस्तावित राशि में लगभग 30% की कमी के बावजूद, वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक आवंटन में 40.90% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष यानी 2020-21 की तुलना में बीई)2021-22) में पर्याप्त वृद्धि के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट आवंटन में बीई 2020-21 की तुलना में 40.90% की वृद्धी से 2821 करोड़ रुपये की राशि की वृद्धि हुई है। यह बढ़ा हुआ आवंटन मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के मद्देनजर 'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन' योजना के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) पीएलआई (योजना के लिए; 'डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा' योजना और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के लिए है। समिति का मानना है कि हालांकि चालू वर्ष के लिए बजटीय आवंटन में सुधार हुआ है, फिर भी यह मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। प्रस्तावित आवंटन और वित्त मंत्रालय द्वारा वास्तव में स्वीकृत राशि का अंतर

साल दर साल बना रहता है। 2020-21 में यह 37.41% था और इस साल यह 30.00% है। मंत्रालय के विशाल जनादेश और विभिन्न आईटी आधारित सेवाओं में एमईआईटीवाई की लगातार बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बजटीय आवंटन में भारी कमी निश्चित रूप से चिंता का कारण है। वास्तव में, चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान जब मंत्रालय की गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है, तो चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय का बजट प्रस्तावित राशि के संदर्भ में उनकी अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए था। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को विभिन्न मदों में वित्तीय आवश्यकता के बारे में वित्त मंत्रालय को प्रभावित करने की आवश्यकता है और प्रस्तावित और वास्तविक राशि के अंतर को यथासंभव दूर किया जाना चाहिए। समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित किए जाएं ताकि मंत्रालय की नई और चालू दोनों तरह की योजनाओं/कार्यक्रमों को निधियों की कमी के कारण नुकसान न हो।

सरकार का उत्तर

6. सम्मानित समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को आगे अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। एमईआईटीवाई इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाएगा जिसमे उचित स्तर पर अर्थात अनुदानों की अनुपूरक मांगों और संशोधित अनुमानों के समय व्यय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि नई और चालू दोनों योजनाओं/कार्यक्रमों को धन की कमी के कारण नुकसान न हो। एमईआईटीवाई के विभिन्न योजनाओं के तहत धन की आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए पर्याप्त बजटीय संसाधनों की मांग की जाएगी।

7. समिति ने पाया था कि यद्यपि वर्ष 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाया गया था, तो भी यह मंत्रालय की आशा के अनुकूल नहीं था। विगत वर्षों की तरह ही मंत्रालय द्वारा मांगी गई राशि और वित्त मंत्रालय द्वारा वास्तव में संस्वीकृत की गई राशि में अंतर देखा गया। मंत्रालय के व्यापक अधिदेश और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में एमईआईटीवाई की बढ़ती भूमिका को देखते हुए बजटीय आवंटन में अत्यधिक कमी निश्चित रूप से चिंता की बात है जिसे मंत्रालय द्वारा दूर किए जाने की जरूरत है। समिति ने आश्वासन दिया है कि व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए वह पर्याप्त बजटीय

संसाधन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त चरणों यथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों और संशोधित अनुमान चरण के समय वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाएगा ताकि एमईआईटीवाई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की जरुरतों को आनुपातिक बनाया जा सके। समिति मंत्रालय की एक जैसे और घिसे-पिटे उत्तर से संतुष्ट नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने न तो प्रस्तावित आवंटन और वित्त मंत्रालय द्वारा वास्तव में संस्वीकृत की गई राशि में अंतर का कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही इस परेशान करने वाले मुद्दे को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया है। जहां तक वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन का संबंध है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते एमईआईटीवाई को बजट अनुमान चरण में ही जरूरत का अनुमान लगा लेना चाहिए था और वित्त मंत्रालय से उन क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आग्रह करना चाहिए था जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान वृद्धि देखी गई है। समिति चाहती है कि मंत्रालय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समय कार्य करे ताकि धनराशि की कमी के कारण योजनाएं/कार्यक्रम प्रभावित न हो। समिति यह भी आशा करती है कि मंत्रालय अपने बजटीय कार्य अत्यधिक वास्तविक ढंग से करे ताकि मांगी गई राशि और वास्तविक आवंटन राशि में बहुत अधिक अंतर न हो।

<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय की निरंतरता</u>

(सिफारिश क्र. सं. 5)

8. समिति ने नोट किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), जिसे 1976 में स्थापित किया गया था, सतत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रवर्तक के रूप में उभरा है। एनआईसी के पास पिछले 4 दशकों में आईसीटी और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करने का समृद्ध अनुभव है। आईसीटी नेटवर्क, "एनआईसीएनईटी" की स्थापना करके, एनआईसी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों और भारत के लगभग 720+ जिला प्रशासनों के साथ संस्थागत जुड़ाव की सुविधा प्रदान की है। एनआईसी ने खुद को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन और विजन के साथ जोड़ लिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में, एनआईसी ने शासन के सभी स्तरों - केंद्र, राज्य

और जिलों में नागरिक केंद्रित सेवाओं के समर्थन और वितरण के लिए विभिन्न आईसीटी पहल की है। जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी एनआईसी द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है जो ई-शासन परियोजनाओं और संबंधित गतिविधियों के विस्तार में बाधा डालती है। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 महामारी और व्यवसाय निरंतरता की संबंधित चुनौतियां डिजिटल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करती हैं। ऐसे कठिन समय के दौरान अपनी बाधारहित निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए एनआईसी इस अवसर पर पहुंचा। एनआईसी का सामना करने वाली प्रमुख कोविड -19 चुनौतियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब पोर्टल, आईटी डोमेन और नागरिक केंद्रित अनुप्रयोगों जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को शून्य डाउनटाइम के साथ चालू रखना, महत्वपूर्ण सरकारी अनुप्रयोगों के निर्बाध कामकाज को बनाए रखना, नए अनुप्रयोगों और सेवाओं की मेजबानी के लिए सुभेद्यता मूल्यांकन शामिल हैं। महामारी और लॉकडाउन से संबंधित, वर्क फ्रॉम होम के दौरान एंडपॉइंट सुरक्षा प्रदान करना और कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन आदि के दौरान टूट-फूट के खिलाफ प्रतिस्थापन के लिए नए उपकरण और स्पेयर पार्ट्स की खरीद आदि। अपने मिशन को जारी रखने के लिए, एनआईसी को निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है और प्रोत्साहन डिजिटल अवसंरचना के प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए और ऐसे कठिन समय के दौरान बाधारहित निर्बाध सेवाएं प्रदान करने वाली कनेक्टिविटी की सराहना करते हुए समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय एनआईसी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से अवसंरचना से संबंधित चिंताओं का समाधान करता है ताकि कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन जैसे संकट के समय में महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने की उनकी क्षमता मजबूत हो।

9. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"**<u>आईएनओसी</u>**

एकीकृत नेटवर्क संचालन केंद्र (आईएनओसी), निकनेट के चौबीसों घंटे प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क उपकरणों की निरंतर निगरानी और समस्या निवारण के लिए जिम्मेदार है। आईएनओसी राज्यों, जिलों और भवनों में सभी एनआईसी केंद्रों का प्रबंधन

और निगरानी करता है और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया समय की गारंटी देता है। आईएनओसी इंटरनेट गेटवे सेवाओं के अलावा ईमेल और एसएमएस सेवाओं, डीएनएस, वीपीएन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड, वाई-फाई का भी प्रबंधन करता है। मौजूदा एकीकृत नेटवर्क संचालन केंद्र (आईएनओसी) 2002 में बनाया गया था। उपयोग में निरंतर और घातीय वृद्धि और सुरक्षित नेटवर्क पर निर्भरता के साथ इस नेटवर्क संचालन केंद्र को तत्काल उन्नयन की आवश्यकता है क्योंकि अवसंरचना अप्रचलित और अविश्वसनीय हो गई है। साथ ही, भारत सरकार द्वारा आईटी सक्षम सेवाओं की निरंतर वृद्धि और डिजिटल इंडिया को अपनाने के कारण, उच्च गति और सुरक्षित नेटवर्क की मांग करते हुए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आईटी सेवाओं की मांग कई गुना बढ़ गई है। इसलिए, वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईएनओसी की मौजूदा अवसंरचना का नवीनीकरण और उन्नयन किया जा रहा है।

परियोजना को एनआईसी के अपने बजट से निष्पादित किया जा रहा है और परियोजना को निष्पादित करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में धन की मंजूरी की प्रतीक्षा है।

<u>राष्ट्रीय डाटा केंद्र, भोपाल</u>

1500 रैक रेटिंग-IV राष्ट्रीय डाटा सेंटर को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है जिसमें संपूर्ण परिचालन और प्रबंधन सहायता के लिए अवसंरचना शामिल है। इस परियोजना को माननीय केंद्रीय आईटी मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। भोपाल में स्टेट ऑफ आर्ट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए मार्च 2015 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना के लिए आईटी-पार्क, भोपाल में 5 एकड़ भूमि एनआईसी को आवंटित की गई थी। **परियोजना के पहले चरण में 250 रैक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट रेटेड IV डाटा सेंटर** 500 रैक की विस्तार क्षमता के साथ **स्थापित** किया **जाएगा** । बाद के चरणों को मांग के अनुसार बाद में लिया जाएगा। यह परियोजना जल्द ही शुरू होने की संभावना है और ढाई साल में पूरा होने की उम्मीद है।

एनआईसी को जनवरी 2020 में अपने बजट से परियोजना को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । परियोजना के निष्पादन के लिए एनआईसी बजट में वित्तीय वर्ष 21-22 में लगभग 50-60 करोड़ की आवश्यकता हो सकती है।

<u>एनईआरडीसी</u>

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा काफी जोर दिया गया है। विजन डॉक्यूमेंट 'डिजिटल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया- विजन 2022' में परिकल्पना की गई है कि डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया डिजिटल इंडिया में एक अभिन्न भूमिका निभाएगा। इसने क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामरिक महत्व के प्रमुख क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित, नौ प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसे डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया 2022 के उद्देश्यों को साकार करने के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि के अनुरूप एक अत्याधुनिक रेटेड III एनई क्षेत्रीय डेटा सेंटर 350 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुवाहाटी, असम में योजना बनाई गई है। 200 रैक एनई क्षेत्रीय डाटा सेंटर की स्थापना शुरू हो गई है और ढाई साल में पूरा होने की उम्मीद है। असम की राज्य सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए पहले ही तीन बीघा भूमि आवंटित कर दी है।

एमईआईटीवाई ने एनआईसीएसआई को परियोजना के लिए 348.66 करोड़ रुपये के प्रशासनिक अनुमोदन के विरुद्ध 10.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

<u>कार्यालय की जगह</u>

एनआईसी ने 1985-86 में अपना कार्यालय पुष्प भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया है। तब से, गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है और कार्यालय स्थान की आवश्यकता भी उसी के अनुसार बढ़ी है। एनआईसी को आज अतिरिक्त कार्यालय स्थान की तत्काल आवश्यकता है।"

10. समिति ने नोट किया था कि आईसीटी नेटवर्क 'निकनेट' स्थापित करके राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और लगभग 720 से अधिक जिला प्रशासनों के साथ संपर्क बनाया है। समिति यह भी नोट करती है कि कोविड-19 महामारी और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के दौरान व्यवसाय की निरंतरता से जुड़ी चुनौतियों ने डिजिटल

अवसंरचना और कनेक्टिविटी की महत्ता को रेखांकित किया है। एनआईसी ने ऐसे कठिन समय में अपनी निर्बाध त्रुटिरहित सेवा प्रदान करने में अपनी योग्यता साबित की है। इसे देखते हुए समिति ने विशेष रुप से यह सिफारिश की है कि मंत्रालय को एनआईसी की जरूरतों के प्रति सम्यक रूप से संवेदनशील होकर इसकी चुनौतियों, विशेष रुप से अवसंरचना से संबंधित चुनौतियों को दूर करना चाहिए ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन जैसे संकट के समय महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आधारशिला प्रदान करने की उनकी क्षमता को मजबूत बनाया जा सके। मंत्रालय ने अपने की-गई-करवाई टिप्पण में समिति को बताया है कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत नेटवर्क प्रचालन केंद्र (आईएनओसी) की मौजूदा अवसंरचना का नवीकरण और स्तरोन्नयन किया जा रहा है। एनआईसी इस परियोजना का कार्य अपने बजट से कर रही है और परियोजना के कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि का अनुमोनदन प्रतीक्षित है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि एनआईसी अपने बजट से परियोजना का पहला चरण, 250 रैक स्टेट ऑफ द आर्ट रेटेड IV डाटा सेंटर भोपाल में स्थापित करेगी। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 में एनआईसी के बजट में लगभग 50-60 करोड़ रुपये की जरूरत हो सकती है। समिति नोट करती है कि एनआईसी अपने बजट से अवसंरचना संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है और मंत्रालय ने न तो बजट बढ़ाकर दिया है और न ही अवसंरचना विकास के लिए अलग से बजट देकर अपनी सहायक और प्रभावकारी भूमिका निभाई है। देश की नई-नई जरूरतों और इसकी युवा जनसंख्या को प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के साथ जोड़ने और इस प्रक्रिया में एनआईसी के डिजिटल इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले अवसंरचना विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कदाचित यह केवल इसके अपने संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। जब समिति ने मंत्रालय को एनआईसी की जरूरतों विशेषकर अवसंरचना से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने की सिफारिश की थी तो समिति इसके परिधि से बजटीय संबंधित पहलू को हटा नहीं सकती थी, जो निश्चित रूप से सभी जरूरतों के लिए अति महत्वपूर्ण है। मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं और बजट की कमी के कारण ये परियोजनाएं बाधित न हो। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों और इसके परिणाम से अवगत होना चाहेगी।

<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) - जनशक्ति की कमी</u>

(सिफारिश क्र. सं. 6)

11. समिति नोट करती है कि एनआईसी सरकार की आईसीटी आवश्यकताओं के लिए प्रमुख आधारभूत संरचना प्रदान करता है । डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ई-शासन सेवाओं के प्रसार के साथ , एनआईसी के संसाधनों की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में, एनआईसी के पास 4212 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 3396 जनशक्ति/प्रौद्योगिकीविद/इंजीनियर हैं। एनआईसी में 1407 (अब 1392 पर फिर से काम किया गया) पदों के सृजन का प्रस्ताव 2014 में शुरू किया गया था। प्रस्ताव को सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद माननीय मंत्री, ईएंडआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया था और वित्त मंत्रालय को सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया। कुछ स्पष्टीकरणों को संबोधित करने के बाद, प्रस्ताव को फरवरी, 2020 में आगे के विचार के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फिर से प्रस्तुत किया गया था। अतिरिक्त जानकारी के लिए 10 फरवरी 2021 को प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से वापस प्राप्त हुआ है जिसे संकलित किया जा रहा है। वैज्ञानिक-बी और वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ए के स्तर पर लगभग 500 पदों को भरने के लिए भर्ती, जिसे 2020-21 के दौरान पूरा किया जाना था, प्रक्रिया में है और एनआईसी समूह-क (वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-एफ) में एस एंड टी अधिकारियों की भर्ती के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है जिसके लिए भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के लिए प्रमुख आईटी अवसंरचना प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद , समिति एनआईसी में जनशक्ति की कमी को दूर करने में मंत्रालय के उदासीन रवैये को पता लगाने के लिए चिंतित है। एनआईसी में 1407 पद (1392 के लिए अब फिर से काम किया गया) के सृजन के लिए प्रस्ताव 2014 से लंबित है। वैज्ञानिक-बी और वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ए स्तर पर लगभग 500 पदों को भरने के लिए भर्ती जो 2020-21 के दौरान पूरा होना था प्रक्रिया में है और एनआईसी में समूह-क (वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-एफ) में एसएंडटी अधिकारियों के लिए भर्ती नियम तैयार किए जा रहे हैं। एनआईसी में जन शक्ति की कमी को गंभीरता से लेते हुए जो लंबे समय से लंबित है और भर्ती प्रक्रिया है जो एक धीमी गति से प्रगति कर रहा है, समिति ने मंत्रालय को समयबद्ध तरीके से सभी लंबित भर्तियों में ठोस अनुवर्ती कार्रवाई के साथ

एनआईसी में जनशक्ति आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा शुरू करने के लिए सिफारिश करती है। इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

12. एनआईसी में 1407 (अब 1392 पर पुन: कार्य किया गया) पदों के सृजन की वर्तमान स्थिति के संबंध में, प्रस्ताव 2014 में शुरू किया गया था। प्रस्ताव को सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद माननीय मंत्री, ई एंड आईटी द्वारा अनुमोदित किया गया था और सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए वित्त मंत्रालय से वापस प्राप्त प्रस्ताव की विधिवत गठित आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई है और विस्तृत स्पष्टीकरण फरवरी, 2020 में आगे के विचार के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फिर से प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं और अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिसे प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए संकलित किया जा रहा है।

वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक के 207 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है और दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा किया जा रहा है। वैज्ञानिक-बी के 288 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अग्रिम चरण में है जहां लिखित परीक्षा समाप्त हो चुकी है और नाइलिट द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया शीघ्र ही आयोजित किए जाने की उम्मीद है, भले ही कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई हो।

समूह-क)वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-एफ (में एस एंड टी अधिकारी की भर्ती का प्रस्ताव शुरू किया गया है और नाइलिट को अग्रेषित किया गया है। समूह-क एस एंड टी अधिकारियों के लिए मसौदा भर्ती नियम तैयार किया गया है और चालू भर्ती के लिए वैज्ञानिक-बी और उससे ऊपर के स्तर के एस एंड टी अधिकारियों की नियुक्ति की सुविधा के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

13. एनआईसी में लंबे समय से श्रम शक्ति की कमी होने और भर्ती प्रक्रिया धीमी गति से चलने पर कठोर रुख अपनाते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि मंत्रालय एनआईसी की श्रमशक्ति की जरूरतों की व्यापक समीक्षा करें और सभी लंबित भर्तियों में समयबद्ध तरीके से ठोस अनुवर्ती कार्रवाई करे। मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में अन्य बातों के साथ यह भी बताया है कि एनआईसी में 1407 पदों (जिसे संशोधित कर 1392 पर कर दिया गया है) के सृजन की वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रस्ताव 2014 में दिए गए थे। प्रस्ताव को सभी चरणों पर यथोचित विचार-विमर्श के उपरांत माननीय मंत्री, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनुमोदित किया था और इसे वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्रालय ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के लिए प्रस्ताव वापस किया था जिसकी यथोचित रूप से गठित अंतरिम समिति द्वारा जांच की गई और इस पर पुनर्विचार करने के लिए एमईआईटीआई के माध्यम से वित्त मंत्रालय को विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फरवरी, 2020 में प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियां की और अतिरिक्त सूचनाएं मांगी जिसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। यह भी बताया गया है कि वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक/वैज्ञानिक-ख, समूह क में एसएंडटी अधिकारी (वैज्ञानिक ग से वैज्ञानिक च) के पद के लिए भर्ती चयन के अंतिम या उपांत्य चरण में है। समिति को यह मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि समिति की सिफारिश पर झूठमूठ की कार्यवाही हुई है क्योंकि नियमित पद अभी तक भरे जाने की प्रक्रिया में हैं और 1407 पदों (जिसे अब संशोधित कर 1392 पद कर दिया गया है) के सृजन के मामले में शायद ही कोई प्रगति हुई है। यह प्रस्ताव अभी भी दो मंत्रालयों के बीच डोल रहा है और भविष्य में भी इसके परिणाम निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। एनआईसी में पदों को भरे जाने की अत्यधिक धीमी गति और एनआईसी में श्रमशक्ति के कुल स्तरोन्नयन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए समिति यह दोहराती है कि अपनी सिफारिश के अनुसार समिति चाहती है कि पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए और आशा करती है कि निकट भविष्य में ऐसा सुनने को मिलेगा।

<u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम - निधियों के अधिक आबंटन की आवश्यकता</u>

(सिफारिश क्र. सं. 9)

14. समिति नोट करती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को समाहित करता है। यह बड़ी संख्या में विचारों और मतों को एक एकल, व्यापक दृष्टि में बुनता है ताकि उनमें से प्रत्येक को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में लागू किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2019-20 में मंत्रालय ने रु.7931.14 करोड़ प्रस्तावित किए थे और बजट अनुमान आबंटन 3750.76 करोड़ रु. था जिसे आरई स्तर पर घटाकर 3212.52 करोड़ रुपए कर दिया गया था और वास्तविक उपयोग 3191.09 करोड़ रु .था । वर्ष 2020-21 में 6940.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में मंत्रालय को 3958.00 करोड़ रुपये का बीई आबंटित किया गया था जिसे आरई स्तर पर घटाकर 3044.82करोड़ रु कर दिया गया था और वास्तविक उपयोग)दिनांक 31.01.2021तक की स्थिति के अनुसार (1724.47 करोड़ रु . रहा । कोविड -19 परिदृश्य को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई बजटीय बाधाओं के कारण वर्ष 2020-21 में कम उपयोग देखा गया। वर्ष 2021-22 में, 9527.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले मंत्रालय को 6806.33 करोड़ रुपये की कम राशि आबंटित की गई है।समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा आवंटन के अच्छे उपयोग के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने एमईआईटीवाई द्वारा प्रस्तावित धन की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है। दो योजनाओं अर्थात ,साइबर सुरक्षा परियोजनाएँ)एनसीसीसी और अन्य (और डिजिटल भुगतानों का संवर्धन को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित राशि से कम आबंटित किया गया है। यहां तक कि जिन दो योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन आबंटित किया गया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, में से पहली योजना को 2631.32 करोड़ रु .मिले जो कि प्रस्तावित राशि 4200.00 करोड़ रु .का 62.65% है। प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए, जो मंत्रालय की सभी उप-योजनाओं को एक साथ बुनता है, समिति सिफारिश करती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन वित्त मंत्रालय के साथ किया जाए ताकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से वाली उप-योजनाओं के कार्यान्वयन में निधि की कमी के कारण विलंब न हो ।

15. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि:

> "माननीय समिति की टिप्पणियों को संज्ञान मे रखा गया है। कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के कारण व्यय के रुझानों को ध्यान में रखते हुए और वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में उचित स्तर (अनुपूरक मांग/ संशोधित अनुमान) पर धन के पर्याप्त आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा।"

16. समिति ने नोट किया था कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जो इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को आपस में जोड़ती है। समिति ने यह भी नोट किया कि 2019-20 में मंत्रालय ने 7931.14 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था और बजट अनुमान आवंटन 3750.76 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 3212.52 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय 3191.09 करोड़ रुपये हुआ। 2020-21 में 6940.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के विरूद्ध मंत्रालय को बजट अनुमान में 3958.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 3044.82 करोड़ रुपये कर दिया गया और वास्तविक व्यय 1724.47 करोड़ रुपये (31.01.2021 की तारीख तक) हुआ। कोविड-19 के परिदृश्य में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए बजटीय अवरोधों के कारण वर्ष 2020-21 में धनराशि का कम उपयोग हुआ। 2021-22 में 9527.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में मंत्रालय को 6806.33 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। समिति यह देखकर चकित है कि मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में आवंटन का अच्छा उपयोग करने के बावजूद वित्त मंत्रालय एमईआईटीवाई द्वारा यथा प्रस्तावित राशि की जरूरत के प्रति विचारशील नहीं है। मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण व्यय की प्रवृति और वित्तीय वर्ष 2021-22 में

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संदर्भ धनराशि की जरूरतों को देखते हुए वह वित्त मंत्रालय से उपयुक्त चरण (अनुपूरक अनुदानों की मांगों/संशोधित चरण) में पर्याप्त आवंटन के लिए सम्पर्क करेगा। समिति मंत्रालय द्वारा जैसे और जब परिणामी प्रयास किए जाएं, तो उनसे अवगत होना चाहेगी।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना</u>

(सिफारिश क्र. सं. 10)

17. समिति ने नोट किया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की मांग तेजी से बढ़ रही है और यह वर्ष 2016-17 में 5,10,258 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020-21 में बढ़कर 7,75,000 करोड़ रुपये हो गया । हालाँकि, आयात के माध्यम से पूरी की जाने वाली इस मांग का प्रतिशत 2016-17 में 45.60% से घटकर 2020-21 में 38.00% हो गया है। समिति आगे नोट करती है कि आयात के माध्यम से पूरी की गई मांग के प्रतिशत में धीरे-धीरे गिरावट आई है, मांग में समग्र वृद्धि उस प्रभाव को नकारती है क्योंकि मात्रा बहुत अधिक है और इसलिए घरेलू उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि के बावजूद, अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार हैं विदेशों से इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने और उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए कई पहल कर रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना के लिए बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में जब इस योजना के तहत 980 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, इस वर्ष योजना के तहत 2631.32 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए आवंटन का 2.68 गुना है । मंत्रालय ने सूचित किया है कि बढ़े हुए आवंटन का उपयोग इस साल शुरू की गई तीन नई योजनाओं के लिए किया जाएगा, *अर्थात* बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन)पीएलआई (योजना, इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्धचालकों)एसपीईसीएस (के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर)ईएमसी 2.0) योजना । इन योजनाओं के तहत प्रोत्साहन

दावों और अन्य वितरणों को वित्त वर्ष 2021-22 के बाद से करने की आवश्यकता होगी। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मोबाइल फोन निर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों के विनिर्माण में वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों और अर्धचालकों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। दूसरी ओर संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर)ईएमसी 2.0) का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। यह देश भर में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों)सीएफसी (दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए,जो बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि और तीन नई योजनाओं की शुरूआत से स्पष्ट है,समिति मंत्रालय को समग्र दृष्टिकोण अपनाने और देश में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए चल रही और नई योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश करती है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों और अन्य विशिष्ट विवरणों पर कार्य करे और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करे और उन्हें इन योजनाओं की प्रगति से अवगत कराएं।

18. अपने की गई कार्रवाई उत्तर मे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

> "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) एक समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है और देश में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का बढ़ावा देने के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए चल रही और नई योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित कर रहा है। मौजूदा योजनाओं के क्रम में, निम्नलिखित चार (4) नई योजनाओं को एमईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित किया गया है:
>
> **i.** दिनांक 01 अप्रैल,2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01042020-218990 के माध्यम से **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के**

लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को अधिसूचित किया गया था । योजना के संचालन के लिए दिशानिर्देश 01.06.2020 को अधिसूचित किए गए थे। यह योजना और असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित मोबाइल फोन विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के विनिर्माण में शामिल वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के दौरान) पर पात्र कंपनियों को 4% से 6% का प्रोत्साहन देती है। योजना के पहले दौर के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.07.2020 थी ।

इस योजना के तहत कुल 16 आवेदनों को मंजूरी दी गई, मोबाइल फोन (श्रेणी - इनवॉइस वैल्यू15,000 रुपये और उससे अधिक): 5; मोबाइल फोन (श्रेणी: घरेलू कंपनियां): 5; विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक: 6.

इसके अलावा, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का दूसरा दौर 11.03.2021 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शुरू किया गया था। दूसरे दौर के उद्देश्य के लिए लक्ष्य खंड विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक है। योजना के दूसरे दौर के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.03.2021 थी । प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

ii. 01 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01042020-218992 के माध्यम से अधिसूचित **इलेक्ट्रॉनिक संघटक और अर्धचालकों (**एसपीईसीएस**) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना** इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चिह्नित की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला, यानी इलेक्ट्रॉनिक संघटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयां, एटीएमपी इकाइयां, विशेष उप-असेंबली, और पूर्वोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए पूंजीगत सामान शामिल हैं। योजना के संचालन के लिए दिशा-निर्देश 01.06.2020 को अधिसूचित किए गए थे। इस योजना के तहत 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 24 आवेदन स्वीकार किए गए हैं जिनमें उच्च पूंजी निवेश वाले आवेदन भी शामिल हैं।

iii. दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01042020-218991 के जरिए योजना को के माध्यम से अधिसूचित **संशोधित**

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी निर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित करने के लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ)शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाएं सहित सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। योजना के संचालन के लिए दिशा-निर्देश 01.06.2020 को अधिसूचित किए गए थे। यह योजना देश भर में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एमईआईटीवाई से 350 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सहित 748.76 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में कोप्पार्थी, कडपा, वाईएसआर जिले में ईएमसी परियोजना (540 एकड़) की स्थापना के लिए एक आवेदन को अनुमोदित किया गया है। मैसर्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड ने ईएमसी में अपने विनिर्माण कार्यों की स्थापना के लिए प्रस्तावित 300 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ईएमसी में एंकर यूनिट के रूप में रुचि दिखाई है।

iv. दिनांक 03 मार्च, 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-03032021-225613 के जरिए अधिसूचित **आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)** । योजना के संचालन के लिए दिशानिर्देश 15.04.2021 को अधिसूचित किए गए थे।

यह योजना चार (4) वर्षों की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्षित खंड के अंतर्गत आने वाले माल की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के दौरान) पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। पीएलआई योजना के तहत लक्ष्य खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल हैं। योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.04.2021 है।"

19. समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय एक समग्र दृष्टि अपनाए तथा देश में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को सहयोग प्रदान करने हेतु स्वस्थ

पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए चल रही और नई योजनाओं में सह-संबंध सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने बताया है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को सहयोग देने के लिए स्वस्थ पारिस्थितिकी-तंत्र बनाने हेतु चल रही और नई योजनाओं में सह-संबंध सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। मौजूदा योजनाओं के क्रम में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 नई योजनाएं अधिसूचित की हैं। मंत्रालय ने इन योजनाओं के दिशा-निर्देश और अन्य ब्यौरा जारी किया है। समिति पाती है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक निर्माण के लिए उत्पादन-सह-प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अंतर्गत मोबाइल फोन विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रानिक घटकों में कुल 16 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक निर्माण के लिए उत्पादन-सह-प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का दूसरा चरण 11.03.2021 को शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (एसपीईसीएस) के अंतर्गत प्राप्त 26 आवेदनों में से 24 आवेदनों को स्वीकार किया गया है जिसमें वे आवेदन भी शामिल हैं जिसमें पूंजी निवेश उच्च है। एक आवेदन संवर्धित इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी 2.0) के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है जिसकी परियोजना लागत 748.76 करोड़ रुपये है और एमईआईटीवाई से 350 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन सह प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी और सर्वर का लक्ष्य है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30.04.2021 है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी नीति (एनपीई -2021) का लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजायन और विनिर्माण (ईएसडीएम) का वैश्विक केन्द्र बनाना है। इलेक्ट्रानिकी उत्पादों के बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने में इन योजनाओं की सफलता की बड़ी आशा है। समिति उक्त का संज्ञान लेते हुए महसूस करती है कि यदि इन पहलों का ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन किया जाए तो ये योजनाएं इलेक्ट्रानिकी और विनिर्माण उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली साबित हो सकती हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय को 2021-22 के बजट में इस सेक्टर के आवंटन में वृद्धि सुनिश्चित कर न्याय करना चाहिए ताकि सभी आवेदनों पर समय पर कार्य/मूल्यांकन किया जाए और उन्हें तार्किक परिणति पर पहुंचाया जाए तथा इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण सेक्टर को अति आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाए।

<u>डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा</u>

(सिफारिश क्र. सं. 14)

20. समिति ने नोट किया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देने के लिए बजटीय आवंटन में वर्ष 2021-22 के लिए उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2021-22 के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि के प्रतिकूल 300 करोड़ रुपए, इस योजना को आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रस्तावित राशि की *तुलना* में इस योजना के आवंटन में पांच गुना वृद्धि के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अनिवार्य पहलू है। पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल भुगतान लेनदेन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2017-18 में कुल लेनदेन की मात्रा 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 4,572 करोड़ हो गई है। दिनांक 13 फरवरी, 2021 के अनुसार लगभग 4306 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन हासिल किए गए हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2020 के प्रभाव से यूपीआई और रूपे कार्ड लेनदेन पर एमडीआर को भी छूट दी है, जिससे बैंकों और फिनटेक द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश की आवश्यकता कम हो गई है। हालांकि डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन संभावनाएं अभी भी बहुत बड़ी हैं क्योंकि भारतीय बाजारों में नकदी का दबदबा बना हुआ है। अप्रयुक्त बाजारों/खंडों/क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, डिजिटल भुगतानों को अपनाने पर जोर देने की निरंतर आवश्यकता है। प्रोत्साहन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही, मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि 2017 में घोषित डिजीधन मिशन भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक रहा है। मिशन द्वारा उठाए गए अभिगम और कदमों में, व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भीम कैशबैक योजनाएं, भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना, भीम-यूपीआई मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग योजना, एमडीआर प्रतिपूर्ति योजना, डिजिटल भुगतान डैशबोर्ड का सृजन, वैश्विक स्तर पर भीम यूपीआई और रूप पे स्वदेशी भुगतान समाधान को बढ़ावा देना शामिल हैं डिजिटल भुगतान आदि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अभियान। बढ़ते फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र, कोविड -19 से उपभोक्ता व्यवहार और वित्तीय समावेशन के आसपास सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण डिजिटल भुगतान 2025 तक कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। समिति

यह भी मानती है कि डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि होने जा रही है और इस योजना के लिए बजट में वृद्धि सही दिशा में एक कदम है । डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में एमईआईटीवाई द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए, समिति कम-नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की सिफारिश करती है। समिति यह भी चाहती है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अलावा, बढ़े हुए आवंटन को डिजिटल भुगतान के लिए सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र विकसित करने हेतु प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया किया जाए। समिति को की गई पहलों का विवरण प्रस्तुत किया जाए ।

21. अपने की गई कार्रवाई उत्तर मे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

> "पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल लेनदेन की मात्रा बढ़कर 5,512 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2016-17 में 1,004 करोड़ थी । यूपीआई क्यूआर कोड जैसे संपर्क रहित भुगतान मोड से लैस, डिजिटल भुगतान सामाजिक दूरी के "नए सामान्य" की सराहना एनएफसी सक्षम कार्ड, कर रहे हैं। कोरोना वायरस संकट के दौरान, डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था को संचालित रखता है और लोगों को वायरस से संपर्क कम करने में मदद करता है।
>
> भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में, बड़े उपयोगकर्ता आधार के साथ प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रत्येक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। यूपीआई क्यूआर कोड जैसे कम लागत वाले समाधान का उपयोग करके डिजिटल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।
>
> पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद, इसमें और वृद्धि की संभावना है क्योंकि नकदी का प्रभुत्व बना हुआ है। इसलिए, अप्रयुक्त बाजारों/खंडों/क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, डिजिटल भुगतानों को अपनाने पर जोर देना जारी रखना महत्वपूर्ण है।

कम-नकद वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान के विकास को बढ़ावा देने हेतु एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, एमईआईटीवाई बहु-आयामी दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसे मुख्यतः इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. देश भर में नागरिकों द्वारा निर्बाध डिजिटल भुगतान और डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने के लिए सुविधाजनक डिजिटल भुगतान मोड और डिजिटल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे का विकास ।

ख. डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए व्यापारियों और नागरिकों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान ।

ग. प्रचार अभियान, प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना ।

जहां ग्राहक तेजी से भुगतान के गैर-नकद तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। सुरक्षित, संरक्षित, सुलभ और किफायती भुगतान प्रणालियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के तहत उप-योजनाओं और परियोजनाओं की कल्पना और डिजाइन करते समय, डिजिटल भुगतान और शिकायत निवारण तंत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर उचित ध्यान दिया जाएगा । "

22. डिजिटल भुगतान परिदृश्य में अप्रत्याशित वृद्धि को नोट करते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि कम नकदी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को अपनाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए सतत प्रयास किए जाएं। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के अलावा बढ़ाए गए आवंटन का प्रयोग डिजिटल भुगतान के लिए सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र विकसित करने हेतु किया जाए तथा इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा समिति को प्रस्तुत किया जाए। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में समिति की टिप्पणी से सामान्य तौर पर सहमति जताई है और कुछ सामान्य टिप्पणियां की हैं लेकिन इस

बारे में अपने द्वारा किए गए ठोस उपायों के ब्यौरे की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की है। समिति यह दोहराना चाहती है कि कोविड-19 आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों के कारण डिजिटल भुगतान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है तथा मंत्रालय को इसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने हेतु एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करने की आवश्यकता है। सतत आधार पर तथा नई परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट योजनाएं/नीति निर्णय तैयार किए जाने की आवश्यकता है। समिति को इन विशिष्ट उपायों से शीघ्र अवगत कराया जाए।

<u>डिजिटल पेमेन्ट्स को बढ़ावा - सुरक्षा उपाय और शिकायत निवारण</u>

(सिफारिश क्र. सं. 15)

23. समिति नोट करती है कि जहां ग्राहक तेजी से भुगतान के गैर-नकद तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। सूचना के प्रचार-प्रसार और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई द्वारा आवधिक परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करने और सर्ट-इन द्वारा अलर्ट और परामर्शी निर्देश जारी करने जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। सूचना और शिक्षा अभियान के अलावा, डिजिटल भुगतान में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक है। एमईआईटीवाई ने उपभोक्ता मामले के विभाग (डीओसीए) के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) प्लेटफॉर्म के साथ इसका उपयोग करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय (एमओसीए) के साथ डिजिटल भुगतान शिकायतों को एकीकृत किया है। सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय सेवा संस्थान एनसीएच प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए हैं। प्लेटफॉर्म लाइव है और डिजिटल भुगतान संबंधी शिकायतें प्राप्त कर रहा है। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान और डेटा की सुरक्षा से संबंधित साइबर अपराध के शिकार व्यक्तियों के लिए किसी भी केंद्रीकृत हेल्पलाइन के बारे में पूछे जाने पर यह सूचित किया गया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cyber crime.gov.in एमएचए द्वारा हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ प्रचालनरत है। यह पोर्टल भारत सरकार की एक पहल सरकार द्वारापीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा करने हेतु यह पोर्टल ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी,

क्रिप्टोक्यूरेंसी, रैंसमवेयर अपराधों से संबंधित शिकायतों का भी ध्यान रखता है। जबकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार के लिए एक केन्द्र बिंदु है, समिति महसूस करती है कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय और शिकायत निवारण तंत्र डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू हैं। समिति यह नोट करने के लिए चिंतित है कि डिजिटल भुगतान से संबंधित मामलों से निपटने में एकीकृत दृष्टिकोण की कमी है और बढ़ते डिजिटल/ऑनलाइन लेनदेन के साथ, डिजिटल/ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन होने के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। जो न केवल भुगतान संबंधी साइबर अपराधों के शिकार पीड़ितों की मदद करेगा बल्कि ऐसे मामलों के तीव्रतर समाधान में भी मदद करेगा। साइबर अपराध के शिकार लोगों को बीमा कवरेज प्रदान करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए । समिति इन पहलुओं पर मंत्रालय को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ अपने सहयोग बढ़ाने की सलाह देती है और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को नागरिकों के लिए और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए तंत्र विकसित करे तथा इस दिशा में उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए।

24. अपने की गई कार्रवाई उत्तर मे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

> "सरकार ने डिजिटल भुगतान लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आरबीआई, एक नियामक निकाय के रूप में, डिजिटल भुगतान में सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और विकसित करने के लिए बैंकों को नीतिगत दिशानिर्देश भी जारी कर रहा है। आरबीआई ने एक एकीकृत पोर्टल (https://cms.rbi.org.in/) विकसित किया है, जिसमें डिजिटल भुगतान से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), जो विभिन्न डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का प्रबंधन कर रहा है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। डिजिटल भुगतान से संबंधित साइबर अपराध नागरिकों द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित बैंकों में रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा, नागरिक डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी को

सामने लाने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा प्रबंधित साइबर क्राइम पोर्टल (https://www.cybercrime.gov.in) का भी उपयोग कर रहे हैं ।

जैसा कि समिति ने सुझाव दिया है, डिजिटल/ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है, जो न केवल भुगतान संबंधी साइबर अपराधों के शिकार पीड़ितों की मदद करेगा बल्कि ऐसे मामलों के तेजी से समाधान में भी मदद करता है।

इस संबंध में, जल्द ही इन पहलुओं पर एमएचए और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी और डिजिटल भुगतान पारिस्थिकी तंत्र को नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाएगा।"

25. समिति ने डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या के बारे में नोट किया था और यह सिफारिश की थी कि डिजिटल भुगतान में ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए। समिति ने यह नोट करते हुए चिंता व्यक्त की थी कि डिजिटल भुगतान से संबंधित मामलों के निपटान में एकीकृत दृष्टि का अभाव है तथा डिजिटल ऑनलाइन लेनदेन में वृद्धि होने के कारण डिजिटल ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित सभी मामलों से निपटने हेतु केंद्रीकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन की स्थापना कर समेकित दृष्टि अपनाए जाने की आवश्यकता है जिससे न केवल भुगतान से संबंधित साइबर अपराध के पीड़ितों को सहायता मिल सकेगी बल्कि ऐसे मामलों के शीघ्र समाधान में भी मदद मिलेगी। साइबर अपराध के पीड़ितों को बीमा कवर प्रदान करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में डिजिटल भुगतान लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने हेतु विभिन्न उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तथापि डिजिटल भुगतान से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और एकीकृत दृष्टि वाले केंद्रीयकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन की आवश्यकता के बारे में मंत्रालय ने समिति के विचारों से केवल सहमति जताई है तथा भविष्य में इस दिशा में कुछ और प्रयास करने का आश्वासन दिया है। समिति महसूस करती है कि डिजिटल भुगतान में तब तक तेजी नहीं लाई जा सकती जब तक की डिजिटल भुगतान

लेन-देन के बारे में आम आदमी को सुरक्षा का संपूर्ण आश्वासन न दिया जाए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि नकदी भुगतान से गैर-नकदी भुगतान प्रणाली की तरफ तेजी से जाने के लिए विश्वास पैदा करने वाले कुछ ठोस उपाय मंत्रालय द्वारा तुरंत किए जाएं। समिति को उसके द्वारा सुझाए गए उपायों के अलावा किसी अन्य उपाय तथा इस संबंध में किए गए प्रयत्न और उसके परिणामों से अवगत कराया जाए।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

बजट विश्लेषण - वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए प्रतिबंधों के कारण अल्प उपयोग

(सिफारिश क्र. सं. 2)

समिति ने नोट किया कि 2020-21 में, बजट आवंटन 6899.03 करोड़ रु हुआ जो घटाकर आरई स्तर पर 5550.00 करोड़ रु और वास्तविक व्यय 3652.94 करोड़ रु (31.01.2021 तक) हुआ । प्रतिशत के संदर्भ में, 2020-21 में उपयोग 65.82% (आरई के सन्दर्भ में) था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, जबकि मंत्रालय आवंटित निधि के लगभग पूर्ण उपयोग को प्राप्त करने में सक्षम रहा है, वर्ष 2020-21 को आवंटित धन के कम उपयोग के साथ चिह्नित किया गया है। मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 (31.01.2021 तक) के दौरान उपयोग में कमी को मुख्य रूप से कोविड -19 महामारी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा लगाए गए खर्च प्रतिबंधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर 2020) के दौरान एमईआईटीवाई के बीई 2020-21 की @ 5% मासिक व्यय को प्रतिबंधित करना शामिल है। व्यय प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, बजट पूर्व बैठक के बाद वित्त मंत्रालय से तीसरी तिमाही के दौरान 5% से अधिक खर्च करने पर छूट प्राप्त हुई। आरई स्तर में लगाए गए 1349.03 करोड़ रुपये की कुल कटौती ने एमईआईटीवाई को विभिन्न मदों के तहत व्यय अनुमानों की समीक्षा करने और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धन का पुन: आवंटन करने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआरएस) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ धन के पुन: विनियोग की आवश्यकता थी। तदनुसार, 487.08 करोड़ रुपये की राशि के धन के पुन: विनियोग के लिए एक प्रस्ताव 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के माध्यम से संसद की मंजूरी प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे। मंत्रालय ने

आगे प्रस्तुत किया है कि व्यय अब बढ़ गया है और वे मार्च 2021 के अंत तक संशोधित अनुमान स्तर पर किए गए संपूर्ण आवंटन को खर्च करने के लिए आशान्वित हैं। समिति इस बात से परेशान है कि खर्च में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद, मंत्रालय ने तीसरी तिमाही तक प्रतिबंधों का सामना करने और संसाधनों के फैलाव का सामना करने के लिए जिसे वे अब छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समिति, एमओएफ की शर्तों के कारण मंत्रालय की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आशान्वित है कि मंत्रालय आवंटन को पूरी तरह से खर्च करने में सक्षम होगा। समिति अनुशंसा करती है कि बजट अनुमान 2021-22 में किए गए आवंटन, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के तहत बढ़ाए गए आवंटन का इष्टतम उपयोग किया जाए ताकि वित्त मंत्रालय आरई स्तर पर धन को कम न करे और दोनों योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हो।

सरकार का उत्तर

आवंटित बजट के इष्टतम उपयोग के संबंध में, विशेष रूप से "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने" और "डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने" के संबंध में सम्मानित समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को नोट किया गया है ताकि आरई स्तर पर किसी भी बजटीय कटौती से बचा जा सके। हालांकि, एमईआईटीवाई लक्ष्य प्राप्त करने और मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए उपलब्ध बजटीय संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए आशान्वित है

<u>बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) की स्थिति</u>

(सिफारिश क्र.सं.3)

समिति ने ध्यान दिया कि 31 दिसंबर 2020 को 485.95 करोड़ रुपये के राशि के कुल 170 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि उसने लंबित यूसी की संख्या को कम करने के लिए कई पहल की हैं और लंबित यूसी को समाप्त करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा किए गए उपाय फलदायी साबित हो रहे हैं क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए लंबित यूसी राशि लगातार घटती जा रही है। मंत्रालय ने आगे कहा कि 01.04.2020 से 03.02.2021 की अवधि के दौरान, 765.02 करोड़ रु

राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र का परिसमापन किया गया है। लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की मात्रा को कम करने के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिक जवाबदेह ठहराने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी/समीक्षा कर रहा है ताकि विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमईआईटीवाई द्वारा जारी अनुदान का पूरा उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदान के उपयोग की स्थिति का पता लगाने के लिए समय-समय पर यूसी स्थिति की भी समीक्षा की जाती है और अनुदानग्राही संस्थानों के पास शून्य लंबित यूसी और न्यूनतम अव्ययित शेष की दिशा में लक्ष्य है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के लिए इस अवधि के दौरान 765.02 करोड़ रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों के परिसमापन में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति यह चाहती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं / परियोजनाओं के लिए बाद में जारी किया गया अनुदान प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर रहा है और उपयोगिता प्रमाणपत्र में धीरे-धीरे उत्पन्न हो रही लम्बिता से बचा जा सके।

सरकार का उत्तर

समिति की इच्छा के अनुसार, एमईआईटीवाई शून्य लंबित यूसी और कार्यान्वयन संगठनों/ अनुदानी निकायों के साथ न्यूनतम अव्ययित शेष की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा । यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से अनुदान जारी करने के लिए सभी प्रस्तावों को एमईआईटीवाई के एकीकृत वित्त प्रभाग आईएफडी द्वारा गंभीर रूप से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों द्वारा वहाँ निधि का कोई पार्किंग न हो । यह न केवल अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों के साथ खर्च नहीं की गई शेष राशि को कम करने में मदद करेगा अपितु उपयोगिता प्रमाणपत्र में बन रहे पेंडेंसी को सीमित की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने में भी समर्थन करेगा जिससे वें शून्य लंबित यूसी और न्यूनतम अव्ययित शेष के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

<u>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

(सिफारिश क्र.सं. 4)

समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय द्वारा बजट अनुमान (बीई) स्तर पर 1248.89 करोड़ रुपये का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे आरई स्तर पर बढ़ाकर 1260.42 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसके विपरीत, एमईआईटीवाई के तहत स्वायत्त समितियों ने 1934.36 करोड़ रुपये का आईईबीआर लक्ष्य हासिल किया था जो आरई स्तर पर निर्धारित लक्ष्य का लगभग 153.47% है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान बीई स्तर पर निर्धारित 1619.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 1498.07 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो 793.92 करोड़ रुपये (31.12.2020 तक) की उपलब्धि रही है। यह आरई स्तर पर निर्धारित लक्ष्य का लगभग 53 प्रतिशत है। जबकि स्वायत्त सोसायटी द्वारा प्राप्त आईईबीआर 2019-20, वर्ष 2020-21 के लिए के निर्धारित लक्ष्य का 153.47% था, जो उपलब्धि घटकर 53% (31.12.2020 तक) हो गई है। 2020-21 के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का कारण कोविड-19 महामारी को बताया गया है। समिति ने नोट किया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में उनके पास कई उल्लेखनीय स्वायत्त संस्थाएं हैं जैसे सी-डैक, नाइलिट, एसटीपीआई, ईआरनेट, समीर और सी-मेट जो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आईसीटी प्रौद्योगिकियां और राजस्व सृजन के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, विशेष रूप से कोविड -19 महामारी के मद्देनजर जब आईसीटी उपकरणों की मांग और व्यापार निरंतरता के लिए उनका उपयोग हमेशा उच्च स्तर पर होता है। समिति समझती है कि कोविड -19 ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, साथ ही महामारी आईटी सेवाओं और नवाचारों के लिए आईसीटी उपकरणों और संबंधित प्रौद्योगिकियों की त्वरित तैनाती के साथ एक बूस्टर वर्ष था। इन संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के लिए राजस्व सृजन के नए रास्ते तलाशने और लाने के अवसर थे। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण आईईबीआर लक्ष्यों में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए, समिति उद्योग और शिक्षा जगत आदि के साथ संभावित संबंधों की खोज करने और उन रास्तों की पहचान करने की सिफारिश करती है जिनके माध्यम से इन स्वायत्त संस्थाओं में राजस्व सृजन के लिए सरकारी अनुदानों पर उनकी

निर्भरता को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

समिति की सम्मानित सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एमईआईटीवाई के तत्वावधान में सभी स्वायत्त संस्थाओं को भेज दिया गया है। यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021) के लिए आईईबीआर के वास्तविक आंकड़ों को सभी स्वायत्त संस्थाओं से प्राप्त किया गया है और नीचे दिए गए हैं:

स्वायत्त संस्थाओं का नाम	**आईईबीआर 2020-21** (रुपये करोड़ में)		
	लक्ष्य / प्रक्षेपण		**उपलब्धि**
	बीई 2020-21	**आरई 2020-21**	
सी-डैक	800.00	800.00	919.51
समीर	65.00	65.00	45.18
सी-मेट	34.00	34.00	23.38
रा.इ.सू.प्रौ.सं.	410.95	319.87	304.78
ई.आर.नेट	85.00	60.00	59.42
एसटीपीआई/ईएचटीपी	224.13	219.20	214.97
कुल	**1619.08**	**1498.07**	**1567.24**
प्रतिशत उपलब्धि	**बीई के सन्दर्भ में 96.80 और आरई के सन्दर्भ में 104.62%**		

यह उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि आईईबीआर की उपलब्धि बीई 2020-21 के सन्दर्भ में 96.80 और आरई 2020-21 के सन्दर्भ में 104.62% है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त छह स्वायत्त संस्थाओं में से तीन संस्थाएं, अर्थात रा.इ.सू.प्रौ.सं., एसटीपीआई और ई.आर.नेट, आत्मनिर्भर सोसायटी हैं और वे वेतन और अन्य प्रतिष्ठान संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए कोर अनुदान के लिए एमईआईटीवाई पर निर्भर नहीं हैं । हालांकि, अन्य तीन सोसायटियों अर्थात सी-डैक, समीर और सी-मेट को उनके वेतन और स्थापना संबंधी खर्चों को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए मूल अनुदान प्रदान किया जा रहा है। एमईआईटीवाई इन संस्थाओं को राजस्व सृजन के लिए नए अवसर का पता लगाने और अंत में सरकारी अनुदान पर निर्भरता को कम करने में प्रभावित कर दिया है । तालिका से यह आगे देखा जा सकता है कि सी-डैक ने इसके बीई/आरई 2020-21 के दौरान 919.51 करोड़ (114.94 %) रुपये का लक्ष्य हासिल कर लिया था ।

<u>सामान्य सेवा केंद्र विशेष प्रयोजन कार्य (सीएससी-एसपीवी)</u>

(सिफारिश क्र.सं. 7)

समिति नोट करती है कि देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल (सीएससी-एसपीवी) की स्थापना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीएससी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार, सीएससी-एसपीवी को धारा 8 कंपनी के रूप में और बाद के वर्षों में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि योजना अनुमोदन के अनुसार, सीएससी-एसपीवी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था और 16 जुलाई 2009 को इसे सीएससी एसपीवी में एक गोल्डन शेयर के साथ और आवश्यक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ बोर्ड पर दो निदेशक सहित एमईआईटीवाई के साथ शामिल किया गया था । सचिव, एमईआईटीवाई कंपनी के पदेन अध्यक्ष हैं। समिति को यह सूचित किया गया है कि शेयरधारिता और नियंत्रण के आधार पर - यह कंपनी एमईआईटीवाई के प्रशासनिक नियंत्रण में है। समिति को यह बताया गया है कि कंपनी

अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समिति यह भी नोट करती है कि एमईआईटीवाई ने सीएससी एसपीवी को भारत सरकार के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम बनाया है जिसमें योजना के उद्देश्य के साथ सहमति में 'gov.in' डोमेन नाम का उपयोग शामिल है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सीएससी योजना के कार्यान्वयन में एमईआईटीवाई का प्रदर्शन और समर्थन करता है और नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के वितरण में सक्षम बनाता है। जब समिति ने इकाई की वास्तविक प्रकृति को जानना चाहा, तो सचिव ने समिति को सूचित किया कि 3,37,000 सामान्य सेवा केंद्र इस इकाई द्वारा चलाए जा रहे हैं और यह एक ऐसी कंपनी है जिसे लगभग दस साल पहले मंत्रिमंडल में प्रस्ताव प्रस्तुत कर अस्तित्व में लाया गया था।

समिति ने नोट करती है कि सरकारी संस्थाओं से 50 प्रतिशत की इक्विटी के साथ इकाई की संरचना थोड़ी असामान्य है और बैंकों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसकी शेयरधारक हैं। सीएससी-एसपीवी वास्तव में अर्ध-सरकारी विशेषताओं वाली एक अनूठी इकाई है। समिति, सचिव के इस निवेदन पर भी ध्यान देती है कि इसके समानांतर कोई नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है जो सेवाएं प्रदान करने में इतना बल देते हैं। साथ ही, समिति का मानना है कि वे 'लाभ के लिए' इकाई हैं जो बिना किसी प्रतिस्पर्धी बोली के पर्याप्त सरकारी व्यवसाय प्राप्त कर रही हैं। समिति नामांकन के आधार पर सीएससी-एसपीवी को आबंटित सरकारी परियोजनाओं की संख्या और बोलियां आमंत्रित करने के लिए अस्थायी निविदा के बिना इन परियोजनाओं को आबंटित करने के कारणों को जानना चाहेगी। समिति महसूस करती है कि सीएससी-एसपीवी की संरचना और कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए। समिति जानना चाहेगी कि कानून या अधिनियम के किन प्रावधानों के तहत सीएससी-एसपीवी के संबंध में गोल्डन शेयर की अवधारणा पेश की गई है। समिति चाहती है कि उन्हें सीएससी-एसपीवी के कामकाज के बारे में और जानकारी दी जाए।

सरकार का उत्तर

मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) धारा 8 कंपनी नहीं है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया है और दिनांक 16.07.2009 को निगमन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। प्रमाणपत्र की प्रति **अनुबंध-I** के रूप में दी गई है ।

कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम 1956 किसी भी कंपनी के संचालन पर कोई शर्त नहीं लगाता है; यह इसके "संस्था के अंतर्नियम (एओए)" और "मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए)" द्वारा चलाया जाता है। तदनुसार, एमईआईटीवाई के पास सीएससी-एसपीवी में एक गोल्डन शेयर (एओए के अनुच्छेद 24 (ए) का संदर्भ लें) और बोर्ड में दो निदेशक (एसोसिएशन अनुच्छेद के अनुच्छेद 137 के माध्यम से) वीटो शक्तियों के साथ हैं (एसोसिएशन अनुच्छेद के अनुच्छेद 125 और 126 के तहत)। सचिव, एमईआईटीवाई कंपनी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं, जिसमें संयुक्त सचिव (ई-शासन), बोर्ड के सदस्य हैं। गोल्डन शेयर एक नाममात्र का हिस्सा होता है जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अन्य सभी शेयरों को पछाड़ने में सक्षम होता है। गोल्डन शेयर उन कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनसे सार्वजनिक नीति के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ा। कंपनी अधिनियम के अनुसार, शेयरों को अंतर अधिकारों के साथ जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, एक कंपनी के रूप में मैसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की भी सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है। इस प्रकार, यह गोल्डन शेयर विभिन्न भारत सरकार को प्रशासनिक अधिकारों और वीटो पावर के साथ जारी किया जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार, शेयरों को अंतर अधिकारों के साथ जारी किया जा सकता है। इस प्रकार, यह गोल्डन शेयर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारों और भारत सरकार को वीटो पावर के साथ जारी किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स का अनुच्छेद 24 मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न का वर्णन करता है।

उक्त अनुच्छेद के अंश इस प्रकार हैं-

"अनुच्छेद 24 (ए): शेयर पूंजी संरचना: भारत सरकार के पास एक गोल्डन शेयर होगा"।

"अनुच्छेद 137: निदेशकों की संख्या: जब तक कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है और अधिनियम की धारा 149 और 152 के प्रावधानों के बशर्ते, निदेशकों की कुल संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी । जब तक भारत सरकार के पास कंपनी में कम से कम एक हिस्सा है, तब तक उसे दो

निदेशकों ("भारत सरकार के निदेशक") को नामित करने का अधिकार होगा और ये एक तो भारत सरकार के निदेशक और दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष के रूप में होंगे । भारत सरकार के ऐसे निदेशक गैर-आवर्तन निदेशक होंगे और भारत सरकार के संबंधित अधिकारी के लिखित निर्देश के अनुसार उन्हें कार्यालय में नियुक्त और/या से हटाया जा सकता है। भारत सरकार के निदेशकों की नियुक्ति कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में नहीं की जाएगी। ऐसे भारत सरकार के निदेशक, कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक को दिए गए सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों से लाभान्वित होंगे ।"

"अनुच्छेद 125: सदस्यों के वोट: प्रत्येक सदस्य, जो एक व्यक्ति होने के नाते, व्यक्तिगत रूप से या निगम होने के नाते, एक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होता है, हाथ दिखाने पर एक वोट होगा। बशर्ते कि, जब तक भारत सरकार निर्दिष्ट मामलों की सूची में से किसी भी मामले के लिए कंपनी की शेयर पूंजी में कम से कम एक शेयर रखती है, एक शेयरधारक के रूप में भारत सरकार को इस प्रकार प्रस्तावित किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कर इस तरह के निर्णय को वीटो करने का अधिकार होगा।।"

"अनुच्छेद 126: कंपनी की प्रदत पूंजी के हिस्से के अनुपात में मतदान का अधिकार: प्रत्येक सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत यथा प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा, या एक निगम होने के नाते एक प्रतिनिधि द्वारा या उसके प्रॉक्सी द्वारा मौजूद है, मतदान में, कंपनी की प्रदत इक्विटी पूंजी के अपने हिस्से के अनुपात में मतदान का अधिकार होगा। बशर्ते हालांकि, जब तक भारत सरकार कंपनी की शेयर पूंजी में कम से कम एक शेयर रखती है, किसी भी मामले के लिए, विनिर्दिष्ट मामलों की सूची में, एक शेयरधारक के रूप में भारत सरकार को इस तरह के निर्णय को, इस प्रकार प्रस्तावित किसी प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करके वीटो करने का अधिकार होगा।"

मेसर्स सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका नाम है - सीएससी 2.0: अ वे फॉरवर्ड। परियोजना का एक उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न सरकार से नागरिक (जी2सी) और व्यवसाय से नागरिक (बी2सी) सेवाओं की प्रदायगी करने के लिए स्व-टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र / मंच सृजित करना है। मॉडल स्व-टिकाऊ, लेन-देन-आधारित सेवा वितरण-उन्मुख मॉडल होना चाहिए, जिसे ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) नामक किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी द्वारा संचालित किया जाता है। फरवरी 2021 तक, 3.74 लाख कार्यात्मक सीएससी में से 2.78 लाख सीएससी डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से 400+ सेवाएं देने के लिए ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं। सीएससी-एसपीवी को गांवों में नागरिक अभिगम बिंदुओं के फ्रैंचाइजी, विश्वसनीय और आईटी सक्षम नेटवर्क के रूप में सामान्य सेवा केंद्रों (ग्राम स्तरीय उद्यमी के स्वामित्व वाले) को लागू करने, सुविधा देने, निगरानी और विकसित करने का अधिकार है। इस प्रकार, ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना।

ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध मौजूदा सीएससी इको-सिस्टम और सेवा प्रदायगी प्लेटफॉर्म, मंत्रालयों/विभागों को सीएससी-एसपीवी के माध्यम से अंतिम मील तक सेवाएं देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाता है। इसी वजह से एमईआईटीवाई ने दो प्रमुख परियोजनाएं शुरू की हैं: पीएमजीदिशा और डिजिटल ग्राम। क) पीएमजीदिशा, भारत में सीएससी के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके "डिजिटल साक्षरता" की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र घर से एक सदस्य को शामिल करते हुए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाना है। ख) डिजिटल ग्राम सीएससी की पहुंच को अंतिम छोर तक पहुँचाने की एक पहल है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित हो सकें। एक गांव तभी डिजिटल बन सकता है जब शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों, वित्त, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच संभव हो सके और उद्यमशीलता के प्रयासों और स्वयं ग्रामीणों द्वारा मूल्यवर्धन सहित आजीविका में सुधार हो सके ।

इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए सीएससी-एसपीवी (सीएससी-एसपीवी द्वारा सूचित) द्वारा कार्यान्वित अन्य परियोजनाओं की सूची सीएससी-एसपीवी से प्राप्त की गई है और **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है । इन सभी

परियोजनाओं और योजनाओं को मुख्य रूप से 3.74 लाख सीएससी के माध्यम से लागू किया गया था।

विधान की व्याख्या के नियमों के अनुसार एक कानून की व्याख्या "उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम" या हेडन के नियमों द्वारा की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि यदि भारतीय कानून में व्याख्या प्रदान नहीं की गई है तो इस नियम के अनुसार इसकी व्याख्या की जा सकती है। उद्देश्यपूर्ण निर्माण का नियम या हेडन का नियम या क्षति नियम एक निश्चित नियम है जिसे न्यायाधीश वैधानिक व्याख्या में लागू कर सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि शब्द या कार्य के पीछे का इरादा या उद्देश्य क्या है। यह अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछता है: संसद का एक अधिनियम बनाकर "शरारत" क्या थी जिसे पिछले कानून में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा कानून की व्याख्या बाहरी स्रोतों और विदेशी कानूनों से की जा सकती है और भारत में व्याख्या अंग्रेजी कानून से ली गई है।

गोल्डन शेयर एक नाममात्र का हिस्सा होता है जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अन्य सभी शेयरों को पछाड़ने में सक्षम होता है। कई देशों में गोल्डन शेयरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया है।

सीएससी-एसपीवी की कार्यात्मक संगठनात्मक संरचना **<u>अनुबंध-III</u>** ***में दी गई है*** । कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार अपने निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य कर रही है। निदेशक मंडल ने मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दीक्षा, प्रारंभ, संचालन, प्रबंधन आदि के संबंध में परियोजना/कार्य आदि से संबंधित किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यकारी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। इसके अलावा, कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कर्मी निम्नलिखित हैं, जो सक्षम प्राधिकारी से आगे के प्रतिनिधित्व,अनुमोदन और प्राधिकरण के अनुसार नामित क्षेत्र का ध्यान रखते हैं।

क) मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ): सीओओ व्यवसाय के विकास और देखभाल के लिए जिम्मेदार है और कंपनी के संचालन की देखरेख करता है।

ख) मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ): सीटीओ ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सूचना तकनीकी सहायता, अद्यतन, अनुपालन, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, नीतियों के पालन और सेवाओं के आवश्यक वितरण के लिए सहायता हेतु जिम्मेदार है।

ग) मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ): सीएफओ सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अनुसार बुक कीपिंग, कर अनुपालन, कंपनी के सभी वित्त और खातों से संबंधित अनुपालन के लिए जिम्मेदार है।

घ) कंपनी सचिव (सीएस): कंपनी सचिव, बोर्ड की मंजूरी और कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार सभी बोर्ड बैठकों का संचालन करने, ईजीएम और सभी सचिवीय अनुपालनों के लिए जिम्मेदार है।

ड.) अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति हैं: कंपनी के अधिकारियों को प्रमुख कार्य संबंधी जिम्मेदारियों के साथ-साथ पदनाम के अनुसार कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) आदि के रूप में नामित किया जाता है ।

च) संचालन प्रमुख: केंद्रीय टीम में वर्टिकल हेड हैं, जो प्रत्येक खंड / वर्टिकल के दिन-प्रतिदिन के संचालन की देखभाल करते हैं और कार्य के वितरण और उस खंड की जिम्मेदारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं जो राज्य प्रमुख और टीम को सौंपे जाते हैं।

छ) राज्य प्रमुख और टीम: ऐसे राज्य प्रमुख होते हैं जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी होते हैं जिन्हें केंद्रीय टीम से कार्यान्वयन कार्य और कार्यक्षेत्र या परियोजना की जिम्मेदारियों के लिए प्रत्यायोजित किया जाता है। राज्य, राज्य टीम के माध्यम से राज्य परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करता है।

<u>सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस (जीआईएमएस)</u>

(सिफारिश क्र.सं. 8)

समिति नोट करती है कि जीआईएमएस सरकार और नागरिकों के बीच त्वरित और सुरक्षित संदेश भेजने के लिए एनआईसी द्वारा विकसित एक खुला स्रोत आधारित, सुरक्षित, क्लाउड सक्षम और स्वदेशी मंच है। मोबाइल ऐप, पोर्टल और गेटवे जीआईएमएस के तीन प्रमुख घटक हैं। जीआईएमएस की मुख्य विशेषताओं में ईमेल और मोबाइल आधारित स्व-पंजीकरण, एक से एक संदेश, समूह संदेश सहायक अधिकारी, आकस्मिक और सूची समूह, फ़ाइल और मीडिया साझाकरण, ऑडियो / वीडियो कॉल, प्रोफ़ाइल और संपर्क प्रबंधन, संदेश प्रसारण और चैटबॉट सक्षम डैशबोर्ड शामिल हैं। जीआईएमएस को वर्तमान में एनडीसी शास्त्री पार्क में होस्ट किया गया है और एंड्रॉइड और iOS संस्करण https://gims.gov.in पर उपलब्ध हैं। ऐप के प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट में 150 संगठनों के लगभग 50,000 उपयोगकर्ताओं ने भाग लिया है। जीआईएमएस को एनआईसी ईमेल और डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। जीआईएमएस वेब संस्करण उपयोगकर्ता को वेब ब्राउज़र से संदेश भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित उभरती चिंताओं के बीच, एक ऐसे स्वदेशी मैसेजिंग ऐप की सख्त आवश्यकता थी जो सरकारी अधिकारियों और आम जनता की संचार जरूरतों को समान रूप से पूरा कर सके, बिना ऐसे सर्वर या डेटा केंद्रों पर निर्भर हुए जो विदेशों में होस्ट किए गए और/या ऐसी विदेशी इकाइयों के स्वामित्व में हैं जो भारतीय कानूनों के दायरे से बाहर हैँ। भारतीय नीतियों द्वारा डिजाइन, विकसित और शासित और सरकारी बुनियादी ढांचे पर होस्ट किए गए एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप जीआईएमएस को विकसित करने में मंत्रालय के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जिसका रणनीतिक नियंत्रण भारत सरकार के पास मजबूती से रहता है, समिति यह महसूस करती है कि अब मंत्रालय के सामने स्वदेशी रूप से विकसित जीआईएमएस ऐप को व्यापक रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करना आगे बड़ी चुनौती है ताकि इसकी वास्तविक क्षमता का उपयोग किया जा सके और इसका परिणाम डिजिलॉकर और उमंग ऐप जैसी पहल की तरह न हो । इसलिए, समिति अनुशंसा करती है कि सरकार की सभी शाखाओं के भीतर जीआईएमएस ऐप का उचित प्रचार किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पहले से ही संतृप्त इंस्टेंट मैसेजिंग

ऐप स्पेस में प्रभाव डालने के लिए उपयोगकर्ताओं के न्यूनतम महत्वपूर्ण प्रयोक्ता समूह तक पहुंच जाए । मंत्रालय इसे एनआईसी ई-मेल और ई-ऑफिस आदि जैसे पहले से मौजूदा प्लेटफार्मों के साथ जोड़ने के विकल्प को भी तलाश सकता है ताकि इन प्लेटफॉर्मों के मौजूदा उपयोगकर्ताओं द्वारा इसके निर्बाध अंगीकरण को सुनिश्चित किया जा सके ।समिति इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

प्रणाली का अवलोकन: सरकारी त्वरित संदेश प्रणाली (जिसे अब संदेश नाम दिया गया है) सरकार और नागरिकों के बीच त्वरित और सुरक्षित संदेश के लिए एनआईसी द्वारा विकसित एक खुला स्रोत आधारित, सुरक्षित, क्लाउड सक्षम और स्वदेशी मंच है। संदेश प्रणाली में ऐप, पोर्टल, गेटवे और वेब संस्करण शामिल हैं। मोबाइल आधारित स्व-पंजीकरण ऐप वन टू वन और समूह संदेश, आधिकारिक/आकस्मिक/सूची समूह, फाइल और मीडिया साझाकरण, ऑडियो/वीडियो कॉल, प्रोफाइल और संपर्क प्रबंधन, संदेश प्रसारण, चैटबॉट सक्षम डैशबोर्ड और आधार अधिप्रमाणन को सपोर्ट करता है।

सुधार: पीओसी में भाग लेने वाले विभिन्न संगठनों से प्राप्त नियमित फीडबैक के आधार पर सिस्टम में नियमित सुधार किया जा रहा है। किए गए कुछ सुधार हैं:

1. **मोबाइल** आधारित स्वयं पंजीकरण
2. बेहतर **यूआई/यूएक्स**
3. आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए **संदेश वेब** (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए पहले से ही उपलब्ध है)
4. ऐप के साथ एकीकृत **आधार अधिप्रमाणन**।
5. विकसित डिवाइस स्टोरेज से **सभी के लिए हटाएं** और **मीडिया हटाएं।**
6. एक सरकारी/सार्वजनिक उपयोगकर्ता को **आमंत्रित** करना।
7. मौजूदा ई-गव एप्लीकेशन के साथ सेवा आधारित **एकीकरण**

8. डिवाइस स्तर पर **ट्रैसेबिलिटी,** एकीकृत ई-गव एप्लिकेशन से **डेटा एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्टेड ओटीपी और संदेश** द्वारा ऐप में सुरक्षा सुविधाओं को मजबूत किया।

9. **डार्क मोड, रीड रिसीट, डिस्प्ले स्टेटस** जैसे कॉन्फ़िगर करने योग्य अतिरिक्त विकल्प, **बैकग्राउंड** में रन ऐप, शो **फोन बुक कॉन्टैक्ट नेम**, **ऑटोमेटेड बैकअप** दर्शाना।

10. **गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर** पर एप की उपलब्धता।

11. पोर्टल पर संगठन व्यवस्थापक द्वारा अन्य संदेश उपयोगकर्ताओं के लिए **अधिकारी के विवरण की दृश्यता** को सक्षम और अक्षम करना ।

12. पोर्टल पर संगठन व्यवस्थापक द्वारा **स्वयं पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का सत्यापन।**

13. पोर्टल पर फिल्टर आधारित समूह बनाना

14. संदेश के लिए भारत सरकार की नियम आधारित गोपनीयता और डेटा प्रतिधारण नीति।

15. **24X7** हेल्प लाइन प्रणाली

अवसंरचना:

1. एनआईसी डाटा केंद्र, दिल्ली में वर्तमान प्रोडक्शन एनवायरमेंट होस्ट किया गया है।
2. एनआईसी डाटा केंद्र, भुवनेश्वर में आपदा रिकवरी साइट उपलब्ध है।
3. एनआईसी डाटा केंद्र, भुवनेश्वर में 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए कंटेनर आधारित एनवायरमेंट का प्रावधान किया जा रहा है।
4. एनआईसी डाटा केंद्र, दिल्ली में 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए डीआर साइट की योजना बनाई जा रही है।

ई-गव एप्लिकेशन का एकीकरण: उपयोगकर्ताओं को मुफ्त और सुरक्षित संदेश भेजने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को संदेश के साथ एकीकृत किया जा रहा है। यह पहले से ही **एनआईसी ईमेल, डिजिलॉकर और ई-ऑफिस** के साथ एकीकृत है और संदेश

के साथ एकीकृत कुछ ई-गव एप्लिकेशन **ई-कोर्ट**, परिचय, भुइयां (छ.ग. भूमि रिकॉर्ड), **जीवन प्रमाण**, जेकुबेर (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, झारखंड) एफआरबीएएस-एमईआईटीवाई, एएण्डएफ सैंक्शनस मैनेजमेंट सिस्टम, ड्यूटी पोर्टल, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (पीडीएस) आदि हैं।

प्रणाली का अंगीकरण: प्रेजेंटेशन, डेमो और हैंड होल्डिंग के जरिए विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, **4.5 लाख** से अधिक उपयोगकर्ताओं (सार्वजनिक और सरकारी) और **160** संगठनों ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके **2.2 करोड़** संदेशों का आदान-प्रदान किया है। हाल ही में, नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और गृह मंत्रालय के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। हाल ही में शामिल हुए कुछ संगठनों में ईसीआई, डाक विभाग, एनएसजी, डीईए, पावर ग्रिड, भूमि संसाधन विभाग, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, रक्षा संपदा महानिदेशालय और कुछ राज्य सरकार के विभाग शामिल हैं। सचिव, आईटी ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी मुख्य सचिवों और सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को संदेश को आधिकारिक संचार चैनल के रूप में अपनाने के लिए लिखा है।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना

(सिफारिश क्रम सं. 10)

समिति ने नोट किया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर की मांग तेजी से बढ़ रही है और वर्ष 2016-17 में 5,10,258 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020-21 में 7,75,000 करोड़ रुपये बढ़कर हो गया। हालाँकि, आयात के माध्यम से पूरी की जाने वाली इस मांग का प्रतिशत 2016-17 में 45.60% से घटकर 2020-21 में 38.00% हो गया है। समिति आगे नोट करती है कि आयात के माध्यम से पूरी की गई मांग के प्रतिशत में धीरे-धीरे गिरावट आई है, मांग में समग्र वृद्धि उस प्रभाव को नकारती है क्योंकि मात्रा बहुत अधिक है और इसलिए घरेलू उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि के बावजूद, अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार का विदेशों से इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने और उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए कई पहल कर रही है। वर्ष 2021-22

के दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना के लिए बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में जब इस योजना के तहत 980 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, इस वर्ष योजना के तहत 2631.32 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के दौरान किए गए आवंटन का 2.68 गुना है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि बढ़े हुए आवंटन का उपयोग इस साल शुरू की गई तीन नई योजनाओं के लिए किया जाएगा, यानी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना। इन योजनाओं के तहत प्रोत्साहन दावों और अन्य वितरणों को वित्त वर्ष 2021-22 के बाद से करने की आवश्यकता होगी। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मोबाइल फोन निर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों के विनिर्माण में वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों और अर्धचालकों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। दूसरी ओर संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। यह देश भर में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, जो बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि और तीन नई योजनाओं की शुरूआत से स्पष्ट है, समिति मंत्रालय को समग्र दृष्टिकोण अपनाने और देश में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए चल रही और नई योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश करती है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों और अन्य विशिष्ट विवरणों पर कार्य करे और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करे और उन्हें इन योजनाओं की प्रगति से अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) एक समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है और देश में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए चल रही और नई योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित कर रहा है। मौजूदा योजनाओं के क्रम में, निम्नलिखित चार (4) नई योजनाओं को एमईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित किया गया है:

i. **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)** को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01042020-218990 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। योजना के संचालन के लिए दिशानिर्देश 01.06.2020 को अधिसूचित किए गए थे। यह योजना और असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित मोबाइल फोन विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के विनिर्माण में शामिल वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के दौरान) पर पात्र कंपनियों को 4% से 6% का प्रोत्साहन देती है। योजना के पहले दौर के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.07.2020 थी।

इस योजना के तहत कुल 16 आवेदनों को मंजूरी दी गई, मोबाइल फोन (श्रेणी- इनवॉइस वैल्यू 15,000 रुपये और उससे अधिक): 5; मोबाइल फोन (श्रेणी: घरेलू कंपनियां): 5; विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक: 6.

इसके अलावा, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का दूसरा दौर 11.03.2021 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शुरू किया गया था। दूसरे दौर के उद्देश्य के लिए लक्ष्य खंड विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक है। योजना के दूसरे दौर के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.03.2021 थी। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

ii. **इलेक्ट्रॉनिक संघटक और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना** 01 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01042020-218992 के माध्यम से अधिसूचित है जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चिह्नित की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला, यानी इलेक्ट्रॉनिक संघटक,

सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयां, एटीएमपी इकाइयां, विशेष उप-असेंबली, और पूर्वोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए पूंजीगत सामान शामिल हैं। योजना के संचालन के लिए दिशा-निर्देश 01.06.2020 को अधिसूचित किए गए थे। इस योजना के तहत 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 24 आवेदन स्वीकार किए गए हैं जिनमें उच्च पूंजी निवेश वाले आवेदन भी शामिल हैं।

iii. संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01042020-218991 के माध्यम से अधिसूचित देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी निर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित करने के लिए रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ)शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाएं सहित सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। योजना के संचालन के लिए दिशा-निर्देश 01.06.2020 को अधिसूचित किए गए थे। यह योजना देश भर में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एमईआईटीवाई से 350 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सहित 748.76 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में कोप्पार्थी, कडपा, वाईएसआर जिले में ईएमसी परियोजना (540 एकड़) की स्थापना के लिए एक आवेदन को अनुमोदित किया गया है। मैसर्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड ने ईएमसी में अपने विनिर्माण कार्यों की स्थापना के लिए प्रस्तावित 300 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ईएमसी में एंकर यूनिट के रूप में रुचि दिखाई है।

iv. आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को दिनांक 03 मार्च, 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-03032021-225613 के जरिए अधिसूचित किया गया। योजना के संचालन के लिए दिशानिर्देश 15.04.2021 को अधिसूचित किए गए थे। यह योजना चार (4) वर्षों की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्षित खंड के अंतर्गत आने वाले माल की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के दौरान) पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। पीएलआई

योजना के तहत लक्ष्य खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल हैं। योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.04.2021 है।

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा सं. 19 देखें)

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना - कोविड-19 का प्रभाव

(सिफारिश क्रम सं. 11)

समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2020 की शुरुआत में वायरस का प्रकोप इलेक्ट्रॉनिकी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के रूप में प्रकट हुआ जो काफी हद तक एक ही देश पर निर्भर हैं। उद्योग के अनुमानों के अनुसार जनवरी और फरवरी के महीने में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माताओं की सूची में 40% की कमी आई, जिससे उत्पादन में कमी आई। मार्च 2020 में जैसे ही महामारी की गंभीरता सामने आई, अन्य देशों से ऐसे संघटकों के आयात के स्रोतों का पता लगाने के लिए चर्चा की जा रही थी। उद्योग संघों को ऐसे रास्ते तलाशने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करने की सलाह दी गई थी। नतीजतन, इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए लघु से मध्यम अवधि और लंबी अवधि के कई उपाय किए गए। लघु से मध्यम अवधि के उपायों के हिस्से के रूप में, एक ही बाजार/भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने के लिए एक ही समय में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर आयात के स्रोतों को व्यापक आधार देने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया गया। दीर्घकालिक उपायों के रूप में, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी आपूर्ति श्रृंखला को भारत में आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में, एमईआईटीवाई ने तीन नई योजनाओं को अधिसूचित किया है, अर्थात बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, इलेक्ट्रॉनिक के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने और घरेलू मूल्यवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संघटक और अर्धचालक

(एसपीईसीएस) और संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना। इन उपायों के अलावा, भारतीय दूतावासों, उद्योग संघों और स्थानीय उद्योग के समन्वय से वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों का भी पता लगाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों को भी इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। समिति का मानना है कि कोविड -19 महामारी ने वास्तव में सभी के बीच जागरूकता फैलाई है कि वैश्विक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला (ईएसडीएम सहित) एक देश पर बहुत अधिक निर्भर हैं और एक ही समय में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यापक आधार इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात की आवश्यकता है। समिति ने मंत्रालय को इस भावना का लाभ उठाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए विविधीकरण की वैश्विक भावना का फायदा उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया।

सरकार का उत्तर

एमईआईटीवाई लगातार ईएसडीएम पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित कर रहा है कि वह अपने विनिर्माण आधार को एक देश से आगे बढ़ाए ताकि उस जोखिम को कम किया जा सके जिसका सभी को कोविड -19 महामारी के दौरान सामना करना पड़ा। भारत में विनिर्माण आधार को स्थानांतरित करने की सुविधा के अलावा एमईआईटीवाई भारत में विनिर्माण शुरू करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन भी दे रहा है।

स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर निर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए, एमईआईटीवाई ने हाल ही में अधिसूचित योजनाओं के अलावा 03 मार्च, 2021 को आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) अधिसूचित की है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई); इलेक्ट्रॉनिक संघटक और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस); और संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना।

इन नई योजनाओं का समग्र प्रभाव घरेलू मूल्यवर्धन और राष्ट्रीय/घरेलू चैंपियन कंपनियों के निर्माण में वृद्धि होगी। उक्त योजनाओं के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावासों, उद्योग संघों और घरेलू उद्योग के समन्वय से वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों का भी पता लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को भी इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित नई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित करने के लिए एमईआईटीवाई दूतावासों, मिशनों और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से वेबिनार की श्रृंखला आयोजित कर रहा है।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमसिप्स)

(सिफारिश क्रम सं. 12)

समिति ने नोट किया कि संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) की घोषणा जुलाई, 2012 में सरकार द्वारा देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और अक्षमता को दूर करने और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए की गई थी। यह योजना विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25% पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मूल्य श्रृंखला सहित प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और संघटकों की 44 श्रेणियों/कार्यक्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं। योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद वर्टिकल शामिल करके योजना के दायरे को बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त, 2015 में इसमें संशोधन किया गया है। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी, 2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया। यह योजना निवेश अनुप्रयोगों के मूल्यांकन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी मूल्यांकन समिति प्रदान करती है। मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। एम-एसआईपीएस (एमसिप्स) योजना 31 दिसंबर 2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और अब कार्यान्वयन मोड में है। आवेदन के अनुमोदन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए योजना के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। एमएसआईपीएस (एमसिप्स) योजना के तहत अब तक 26 दावा आवेदनों पर

120.81 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। इस वर्ष व्यय मुख्य रूप से महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण कम रहा है। इससे निवेश में देरी हुई है और कंपनियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आईएफसीआई लिमिटेड (सत्यापन एजेंसी) द्वारा 20 दावों के खिलाफ 105 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये दावे अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, 90 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के दावे आईएफसीआई लिमिटेड के साथ सत्यापन के अग्रिम चरण में हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक, योजना के तहत 315 करोड़ रुपये का व्यय प्राप्त होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एमएसआईपीएस (एमसिप्स) के तहत लक्ष्य 700 करोड़ रू. है। समिति इस योजना के तहत प्रोत्साहनों के वितरण की अत्यंत धीमी गति को नोट करने के लिए चिंतित है। योजना 31 दिसंबर 2018 तक आवेदकों के लिए खुला था और 2012-13 के बाद से कुल 334 प्रस्तावों प्राप्त किया था। हालांकि, जारी किए गए प्रतिबद्ध 8593.00 करोड़ रुपये प्रोत्साहनों में से मात्र 1072.03 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो प्रतिबद्ध प्रोत्साहनों का लगभग 12.47 प्रतिशत है। अगर 2021-22 के दौरान यह गति बनी रही तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब बनाने का लक्ष्य दूर का सपना बनकर रह जाएगा। मंत्रालय को इस योजना को तेजी से ट्रैक करने की आवश्यकता है ताकि यह अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। समिति मंत्रालय को उचित उपाय करने के लिए सिफारिश करती है ताकि योजना के तहत प्रोत्साहनों के वितरण में तेजी आए।

सरकार का उत्तर

इस योजना के तहत अब तक 1167 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है जो कि 9002 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन का 12.96% है। योजना के तहत प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान किया जाता है, अर्थात निवेश किए जाने और उत्पादन शुरू होने के बाद ही। हालांकि, प्रोजेक्शन आधार (यानी परियोजना के मूल्यांकन के दौरान आवेदकों द्वारा किए गए अनुमान) के आधार पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं। चूंकि अनुमत निवेश अवधि 5 वर्ष है, इसलिए आवेदक आमतौर पर अपना पहला दावा दाखिल करने में कुछ वर्षों का समय लेते हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 में 215 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है जो मुख्य रूप से महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण कम है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित बजट 700 करोड़ रुपये है जिसके हासिल होने की उम्मीद है। वर्तमान में,

282 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन अनुशंसा वाले 18 दावों पर मंत्रालय के पास प्रक्रिया चल रही है। 128 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन सिफारिशों वाले दावों में से एक स्वतंत्र लागत मूल्यांकन के अधीन है। 7 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वाले तीन दावों का आईएफसीआई के साथ सत्यापन किया जा रहा है। यह देखा जा सकता है कि केवल पहली तिमाही में, 410 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की प्रक्रिया चल रही है जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट आवंटन का 58.57% है।

प्रोत्साहनों के संवितरण की गति में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा हाल ही में निम्नलिखित पहल की गई हैं:

I. अनुमोदित परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न अनुरोधों जैसे परियोजना की समय-सीमा में विस्तार, अधिग्रहण/विलय आदि के कारण नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, मशीनरी में परिवर्तन, के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए, माननीय एमईआईटी के अनुमोदन से, सचिव को शक्ति प्रदत्त की गई है।

II. आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा आवेदकों को सत्यापन और संवितरण की प्रक्रिया के साथ-साथ दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के बारे में समझाने के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

III. स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) के माध्यम से की जा रही है।

उपरोक्त पहलों से संवितरण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी और अन्य)

(सिफारिश क्रम सं. 13)

समिति ने नोट किया कि इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, घटना-पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास कानूनी ढांचे और सहयोग को सक्षम करने जैसी कई पहल करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की स्थिति के कारण, एनसीसीसी परियोजना का

कार्यान्वयन प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान धन का कम उपयोग हुआ। इसके परिणामस्वरूप 170.00 करोड़ रु. से 80.00 करोड़ रुपये तक आरई स्तर पर आवंटन कम हो गया। एनसीसीसी की स्थापना की परियोजना को 5 साल की अवधि के लिए 770 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। चरण-I में, खतरा और स्थिति संबंधी जागरूकता (एनसीसीसी टेस्ट बेड) पर परियोजना लागू की गई है। एनसीसीसी के पहले चरण को जुलाई, 2017 में चालू कर दिया गया है। इस चरण में आईएसपी और संगठनों की 20 साइटों से मेटाडेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अतिरिक्त 15 दूरस्थ साइटों को अगस्त, 2021 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016 में कुल 65 पद (60 एसएंडटी और 5 गैर-एसएंडटी) स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 57 पद भरे गए हैं (54 एसएंडटी और 3 गैर-एसएंडटी) शेष पदों पर भर्ती अभी जारी है। एनसीसीसी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार शेष 59 पदों (एसएंडटी और गैर-एसएंडटी) के सृजन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के विचाराधीन है। यदि आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाता है, तो एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण विकसित एनसीसीसी को लागू किया जाएगा। समिति इस चिंता के साथ नोट करती है कि एनसीसीसी की स्थापना के लिए परियोजना जिसे अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें रुपये के परिव्यय थे। 5 वर्षों की अवधि में फैले 770 करोड़ को केवल वित्तीय वर्ष 2017-18 से ही बजट आवंटन मिलना शुरू हुआ और धन की कमी का हवाला देते हुए इसके कार्यान्वयन में देरी हुई है। देश में महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना पर साइबर हमलों की घटनाएं आम हो गई हैं और महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनसीसीसी की स्थापना की तात्कालिकता को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। साइबर स्पेस से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एनसीसीसी को एक सक्रिय एजेंसी के रूप में स्थापित करने में मंत्रालय के सुस्त रवैये को देश शायद ही बर्दाश्त कर सके। समिति चाहती है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो वित्त विभाग के विचाराधीन है, में तेजी लाई जाए और मंत्रालय साइबर सुरक्षा परियोजनाओं (एनसीसीसी और अन्य) योजना के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करे ताकि एनसीसीसी की स्थापना की परियोजना में और देरी न हो।

सरकार का उत्तर

एनसीसीसी का चरण-I जुलाई 2017 में चालू किया गया था। केंद्र 24×7×365 आधार पर चालू है और अपने अधिदेश के अनुसार खतरे का पता लगाने और विश्लेषण गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहा है। एनसीसीसी चरण-I के दौरान सर्ट-इन द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर, सर्ट-इन अब एनसीसीसी के पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में एनसीसीसी को 167 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और तदनुसार सर्ट-इन द्वारा एक कार्यान्वयन रोडमैप तैयार किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वर्तमान आवंटन के अलावा, इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के दौरान 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के अनुमोदन के लिए एमईआईटी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। तदनुसार सर्ट-इन ने एनसीसीसी के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित रोडमैप तैयार किया है।

जनशक्ति के संबंध में, स्वीकृत 65 पदों में से 56 पद (53 एसएंडटी और 3 गैर एसएंडटी) भरे हुए हैं और एमईआईटीवाई शेष पदों को भरने के लिए प्रक्रिया कर रहा है।

को-विन ऐप

(सिफारिश क्रम सं. 16)

समिति नोट करती है कि को-विन ऐप कोविड-19 से संबंधित एक प्रमुख पहल है जिसके माध्यम से लाखों लोग प्रतिदिन कोविड-19 का टीका लगवा रहे हैं। कोविन पोर्टल और एप्लिकेशन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और जब कभी इस मंत्रालय द्वारा वांछित था एनआईसी द्वारा केवल तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। कोविन ऐप आरोग्य सेतु ऐप के साथ मिलकर काम करेगा जिसे अब तक 16.92 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया है। एमईआईटीवाई ने खुद ही आरोग्य सेतु पर ही नागरिकों के लिए एक फ्रंटएंड भी तैयार किया है। आरोग्य सेतु ऐप में पहले से ही कोविड- 19 टीकाकरण में प्रगति की जानकारी होगी। हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप पर 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पंजीकरण सेवाएं भी

खोली गई हैं। इसके बाद, वे व्यक्ति स्वास्थ्य आईडी बनाने के लिए खुद को पंजीकृत करने और टीकाकरण प्राप्त करने के लिए सत्र निर्धारित करने हेतु आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। कोविन ऐप बैकएंड एप्लिकेशन के रूप में अधिक काम करेगा, जो उस स्थान पर सत्र के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए है जहां टीकाकरण चल रहा है और आरोग्य सेतु ऐप फ्रंटएंड सिटीजन-फेसिंग एप्लिकेशन के रूप में काम करेगा। कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में कोविन और आरोग्य सेतु ऐप जैसी तकनीकी पहलों को विकसित करने में मंत्रालय की सराहना करते हुए, समिति दो ऐप्स के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देगी क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अलग से विकसित किया गया है। लेकिन कोविड- 19 के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी होने के लिए दोनों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। जैसे-जैसे कोविड- 19 टीकाकरण आगे बढ़ता है, दोनों ऐप में बड़े प्रयोक्ता-आधार संचित होने की संभावना है जो उन्हें साइबर स्पेस से उत्पन्न होने वाले हमलों के लिए अतिसंवेदनशील और आकर्षक लक्ष्य बना देते हैं जैसा कि हाल ही में वैश्विक फिशिंग हमले ने कोविड- 19 टीके को कोल्ड-चेन को लक्षित रिपोर्ट किया गया था। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोग्य सेतु ऐप और कोविन ऐप दोनों साइबर स्पेस से होने वाले हमलों के शिकार न हों।

सरकार का उत्तर

आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 18.80 करोड़ नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। ऐप को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर एक स्थापित और सुदृढ़ सुरक्षा सेटअप के साथ रोल आउट किया गया है, जिसने अप्रैल 2020 में जारी किए जाने के बाद से सर्वव्यापी महामारी को नियमित करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोगकर्त ट्रैफिक और साइबर हमलों का प्रभावी ढंग से सामना किया है। स्थिरता और पारगमन में डेटा सुरक्षित करने के लिए सुदृढ़ एन्क्रिप्शन तंत्र नियोजित किया गया है। आरोग्य सेतु कोविन के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण और टीकाकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। आरोग्य सेतु का लक्ष्य के रूप में एपीआई संचार को सुरक्षित करने के लिए

आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कोविन ने आवश्यक सुरक्षा जांच और लेखा परीक्षण भी किया है ताकि उनके अंतिम प्रयोजन के तौर पर एप्लिकेशन और डेटा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। आरोग्य सेतु टीम और कोविन टीम दोनों ही किसी भी तकनीकी समस्या के उत्पन्न होने पर उसका समाधान करने के लिए तालमेल से काम कर रही हैं।

नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग)

(सिफारिश क्रम सं. 17)

समिति नोट करती है कि नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग) 23 नवंबर, 2017 को जारी किया गया था और इसे डिजिलॉकर, पेगॉव और रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) के साथ एकीकृत कोर प्लेटफॉर्म के रूप में प्रमुख सरकारी सेवाएं देने के लिए एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। 31 अक्टूबर, 2020 तक, उमंग के पास 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के केंद्र सरकार के विभागों और सरकारी विभागों के 189 विभागों से लगभग 2039 सेवाएं (860- केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं; 1179-बिल भुगतान सेवाएं) हैं और कई और लगातार ऑनबोर्ड किए जा रहे हैं। यह अंग्रेजी के अलावा लगभग 12 भारतीय भाषाओं को समर्थित करता है और इसे क्लाउड पर होस्ट किया गया है। समिति ने नोट किया है कि उंमग की शुरुआत के बाद अर्थात 23 नवंबर, 2017 और जब तक 28 अक्टूबर, 2019 तक यानी लगभग दो साल के अंतराल में, उमंग एप्लिकेशन डाउनलोड करने वाले की कुल संख्या महज 1.93 करोड़ थी। जनवरी 2021 तक यह संख्या 3.83 करोड़ तक पहुंच गई है यानी अगले 15 महीनों के दौरान डाउनलोड करने वालों में 1.93 करोड़ का इजाफा हुआ है। हालांकि, 3.83 करोड़ पर भी, यह भारतीय आबादी का एक छोटा प्रतिशत ही कवर करता है। 31 जनवरी, 2021 की स्थिति अनुसार उमंग ने केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से 1,051 सेवाएं और 19,474 बिल भुगतान सेवाएं प्रदान की हैं। इनमें से बिलर्स की लगभग 18,000 सेवाओं को दिसंबर, 2020 में ही संकलित किया गया था। ऐप के प्रति बहुत ही कम प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, समिति ने अनुदान की मांग पर अपनी चौथी रिपोर्ट (2019-20) में उमंग ऐप के लिए उत्साहीन/उदासीन प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाने के लिए आंकलन और मूल्यांकन

सर्वेक्षण/उपयोगकर्ता अध्ययन की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने सूचित किया है कि आईआईएम लखनऊ के प्रोफेसर सत्य भूषण दास द्वारा ऐप के कुछ पहलुओं को शामिल करते हुए एक छोटा उपयोगकर्ता और एकीकृत विभाग अध्ययन किया गया था और उमंग परियोजना के समग्र प्रभाव मूल्यांकन का विश्लेषण करने के लिए एक आरएफपी जारी किया गया है जिसमें ऐप और प्रदाताओं (विभागों/मंत्रालयों) के व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को कवर करने वाले आउटपुट और परिणामों, अंतराल मूल्यांकन, चुनौतियों, सुधार आदि के संदर्भ में वास्तविक लाभों के विवरण शामिल हैं। वर्तमान में, इसके लिए 4 बोलियां प्राप्त हुई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। समिति आम जनता से उमंग मोबाइल ऐप के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया पाने पर चिंतित है जिसके परिणामस्वरूप डाउनलोड करने वालों की अपेक्षित संख्या से कम हो गई है। बिल भुगतान सेवाओं के अलावा उपलब्ध सेवाओं की संख्या को 1051 तक बढ़ाने के मंत्रालय के प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं, लेकिन साथ ही, उच्च संख्या में सेवाओं की उपलब्धता तब तक व्यर्थ है जब तक कि ये ऐप की ओर पर्याप्त संख्या में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने की व्यवस्था न करें। समिति एक ऐप की इतनी कम सदस्यता पाकर हैरान है जो अपने उपयोगकर्ताओं को शीघ्र, सुरक्षित, आसान और लागत प्रभावी तरीके से इतनी सारी सेवाएं प्रदान करती है। इस पृष्ठ पर यह और भी आवश्यक है कि मंत्रालय उन कारणों का पता लगाने के लिए एक प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन करे जहां चीजें गलत हो रही हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मोबाइल ऐप के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाया जाएं और उमंग परियोजना के समग्र प्रभाव मूल्यांकन का विश्लेषण करने के लिए आरएफपी जारी किया जाना चाहिए ताकि समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

सरकार का उत्तर

उमंग ऐप भारत में सरकारी सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी ऐप में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए एप्लिकेशन में से एक है। जून 2021 तक, उमंग के पास लगभग 4.86 करोड़ डाउनलोड (एंड्रॉइड और आईओएस) हैं और यह दैनिक आधार पर लगभग 25-30 लाख लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि उमंग को उदासीन प्रतिक्रिया मिली है। उमंग की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि:

- उमंग पर **2018** में मासिक लेनदेनों की औसत संख्या **2.14 करोड़** से बढ़कर **2021 में (मई 2021 तक) 6.54 करोड़ हो गई है,** जो दर्शाता है कि लोग अधिक मात्रा में उमंग का उपयोग कर रहे हैं।
- दैनिक आधार पर वर्तमान में ~ 50 लाख हिट्स उमंग पर हो रही हैं।
- जून 2021 की स्थिति अनुसार, उपयोगकर्ताओं उमंग के माध्यम से **167 करोड़** डिपार्टिमेंट ट्रांजैक्शन किए हैं।
- जून 2021 की स्थिति अनुसार **170,000 +** से अधिक उपयोकर्ता समीक्षाओं में से प्ले स्टोर पर उमंग की लाइफटाइम रेटिंग **4+ है।** यह उमंग के साथ उपयोगकर्ताओं के संतुष्टि स्तर को दर्शाता है।
- उपयोगकर्ताओं ने **60 लाख से अधिक** दावे प्रस्तुत किए हैं उमंग के माध्यम से ईपीएफओ से पीएफ निकासी के लिए प्रस्तुत **ईपीएफओ में कोविड- 19 (कुल मिलाकर ~ 60%) के** लिए **10.50 लाख** से अधिक अग्रिम दावे उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए थे।
- **5.5 लाख** से अधिक उमंग के माध्यम से **जीवन प्रमाण** पेंशनभोगी प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक तैयार किए गए हैं।
- कई विभागों के पास या तो अपने स्वयं के ऐप्स नहीं है या उन्होंने नए मोबाइल के विकास के लिए उनकी पहल बंद कर दी है:
    - ईएसआईसी
    - सी आई एस एफ
    - सीआरपीएफ
    - पीएमएवाई
    - ई-गोपाल
    - ईपीएफओ

जैसा कि पहले प्रस्तुत किया गया था, उमंग ऐप ने शुरुआत में उपयोगकर्ताओं के बीच अपनी सुविधाओं और लाभों का सीमित प्रचार प्रसार किया था, जैसा कि शुरुआत में

ऐप पर सेवाओं की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उमंग ऐप के लिए विस्तृत मीडिया आउटरीच कार्यक्रम को अप्रैल 2021 से क्रियान्वित करने की योजना थी, लेकिन देश में वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य के कारण, इसे अब स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, उमंग और इसकी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है और इसने उमंग को अपनाने में और तेजी लाई है।

जैसा कि समिति ने सुझाव दिया था, आरएफपी कार्यान्वित किया गया था और प्रभाव पूर्ण मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित रणनीति के साथ एक एजेंसी के संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया गया है:

1) उमंग सेवाओं की विभिन्न महत्वपूर्ण श्रेणी के लिए उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव का सर्वेक्षण
2) 10 विभागों का सर्वेक्षण और
3) 5 राज्यों का सर्वेक्षण

एमईआईटीवाई अध्ययन आयोजित किए जाने पर इसके प्रभाव मूल्यांकन के निष्कर्षों/परिणामों के बारे में समिति को अवगत कराएगा और बाद में उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करेगा।

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

बजट विश्लेषण - पर्याप्त आवंटन की आवश्यकता

(सिफारिश क्रम सं. 1)

समिति ने नोट किया कि 13,886.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में , मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए बजट आवंटन 9720.66 करोड़ रुपये है जो मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि से 30% कम है। 9720.66 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में राजस्व खंड के तहत 9274.66 करोड़ और पूंजी खंड के तहत 446.00 करोड़ रु. शामिल हैं। पिछले वर्ष के दौरान, 11,023.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में , बजट आवंटन 6899.03 करोड़ रु. हुआ जिसमें 37.41% की कमी थी। हालांकि, प्रस्तावित राशि में लगभग 30% की कमी के बावजूद, वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक आवंटन में 40.90% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष यानी 2020-21 की तुलना में बीई (2021-22) में पर्याप्त वृद्धि के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट आवंटन में बीई 2020-21 की तुलना में 40.90% की वृद्धि से 2821 करोड़ रुपये की राशि की बढोत्तरी हुई है। यह बढ़ा हुआ आवंटन मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के मद्देनजर 'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन' योजना के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के लिए; 'डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा' योजना और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के लिए है। समिति का मानना है कि हालांकि चालू वर्ष के लिए बजटीय आवंटन में सुधार हुआ है, फिर भी यह मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। प्रस्तावित आवंटन और वित्त मंत्रालय द्वारा वास्तव में स्वीकृत राशि का अंतर साल दर साल बना रहता है। 2020-21 में यह 37.41% था और इस साल यह 30.00% है। मंत्रालय के विशाल जनादेश और विभिन्न आईटी आधारित सेवाओं में एमईआईटीवाई की लगातार बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बजटीय आवंटन में भारी कमी निश्चित रूप से चिंता का कारण है। वास्तव में, चल रहे कोविड-19 महामारी

के दौरान जब मंत्रालय की गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है, तो चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय का बजट प्रस्तावित राशि के संदर्भ में उनकी अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए था। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को विभिन्न मदों में वित्तीय आवश्यकता के बारे में वित्त मंत्रालय को प्रभावित करने की आवश्यकता है और प्रस्तावित और वास्तविक राशि के अंतर को यथासंभव दूर किया जाना चाहिए। समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित किए जाएं ताकि मंत्रालय की नई और चालू दोनों तरह की योजनाओं/कार्यक्रमों को निधियों की कमी के कारण नुकसान न हो।

सरकार का उत्तर

सम्मानित समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को आगे अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। एमईआईटीवाई इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ ले जाएगा जिसमें उचित स्तर पर अर्थात अनुदानों की अनुपूरक मांगों और संशोधित अनुमानों के समय व्यय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ताकि नई और चालू दोनों योजनाओं/कार्यक्रमों को धन की कमी के कारण नुकसान न हो।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) - कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय निरंतरता

(सिफारिश क्रम सं. 5)

समिति ने नोट किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), जिसे 1976 में स्थापित किया गया था, सतत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रवर्तक के रूप में उभरा है। एनआईसी के पास पिछले 4 दशकों में आईसीटी और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करने का समृद्ध अनुभव है। आईसीटी नेटवर्क, "एनआईसीएनईटी" की स्थापना करके, एनआईसी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 37 राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों और भारत के लगभग 720+ जिला प्रशासनों के साथ संस्थागत जुड़ाव की सुविधा प्रदान की है। एनआईसी ने खुद को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन और विजन के साथ जोड़ लिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में, एनआईसी ने शासन के सभी

स्तरों- केंद्र, राज्य और जिलों में नागरिक केंद्रित सेवाओं के समर्थन और वितरण के लिए विभिन्न आईसीटी पहल की है। जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी एनआईसी द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है जो ई-शासन परियोजनाओं और संबंधित गतिविधियों के विस्तार में बाधा डालती है। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 महामारी और व्यवसाय निरंतरता की संबंधित चुनौतियां डिजिटल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करती हैं। ऐसे कठिन समय के दौरान अपनी बाधारहित निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए एनआईसी इस अवसर पर पहुंचा। एनआईसी का सामना करने वाली प्रमुख कोविड- 19 चुनौतियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब पोर्टल, आईटी डोमेन और नागरिक केंद्रित अनुप्रयोगों जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को शून्य डाउनटाइम के साथ चालू रखना, महत्वपूर्ण सरकारी अनुप्रयोगों के निर्बाध कामकाज को बनाए रखना, नए अनुप्रयोगों और सेवाओं की मेजबानी के लिए सुभेद्यता मूल्यांकन शामिल हैं। महामारी और लॉकडाउन से संबंधित, वर्क फ्रॉम होम के दौरान एंडपॉइंट सुरक्षा प्रदान करना और कोविड- 19 प्रेरित लॉकडाउन आदि के दौरान टूट-फूट के खिलाफ प्रतिस्थापन के लिए नए उपकरण और स्पेयर पार्ट्स की खरीद आदि। अपने मिशन को जारी रखने के लिए, एनआईसी को निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है और प्रोत्साहन डिजिटल अवसंरचना के प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए और ऐसे कठिन समय के दौरान बाधारहित निर्बाध सेवाएं प्रदान करने वाली कनेक्टिविटी की सराहना करते हुए समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय एनआईसी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से अवसंरचना से संबंधित चिंताओं का समाधान करता है ताकि कोविड- 19 प्रेरित लॉकडाउन जैसे संकट के समय में महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने की उनकी क्षमता मजबूत हो।

सरकार का उत्तर

आईएनओसी

एकीकृत नेटवर्क संचालन केंद्र (आईएनओसी), निकनेट के चौबीसों घंटे प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क उपकरणों की निरंतर निगरानी और समस्या निवारण के लिए जिम्मेदार है। आईएनओसी राज्यों, जिलों और भवनों में सभी एनआईसी केंद्रों का प्रबंधन और निगरानी करता है और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया समय की

गारंटी देता है। आईएनओसी इंटरनेट गेटवे सेवाओं के अलावा ई-मेल और एसएमएस सेवाओं, डीएनएस, वीपीएन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड, वाई-फाई का भी प्रबंधन करता है। मौजूदा एकीकृत नेटवर्क संचालन केंद्र (आईएनओसी) 2002 में बनाया गया था। उपयोग में निरंतर और घातीय वृद्धि और सुरक्षित नेटवर्क पर निर्भरता के साथ इस नेटवर्क संचालन केंद्र को तत्काल उन्नयन की आवश्यकता है क्योंकि अवसंरचना अप्रचलित और अविश्वसनीय हो गया है। साथ ही, भारत सरकार द्वारा आईटी सक्षम सेवाओं की निरंतर वृद्धि और डिजिटल इंडिया को अपनाने के कारण, उच्च गति और सुरक्षित नेटवर्क की मांग करते हुए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आईटी सेवाओं की मांग कई गुना बढ़ गई है। इसलिए, वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईएनओसी के मौजूदा अवसंरचना का नवीनीकरण और उन्नयन किया जा रहा है।

परियोजना को एनआईसी के अपने बजट से निष्पादित किया जा रहा है और परियोजना को निष्पादित करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में धन की मंजूरी की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय डाटा केंद्र, भोपाल

1500 रैक रेटिंग-IV राष्ट्रीय डाटा सेंटर को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है जिसमें संपूर्ण परिचालन और प्रबंधन सहायता के लिए अवसंरचना शामिल है। इस परियोजना को माननीय केंद्रीय आईटी मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। भोपाल में स्टेट ऑफ आर्ट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए मार्च 2015 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना के लिए आईटी-पार्क, भोपाल में 5 एकड़ भूमि एनआईसी को आवंटित की गई थी। **परियोजना के पहले चरण में 250 रैक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट रेटेड IV डाटा सेंटर** 500 रैक की विस्तार क्षमता के साथ **स्थापित** किया **जाएगा**। बाद के चरणों को मांग के अनुसार बाद में लिया जाएगा। यह परियोजना जल्द ही शुरू होने की संभावना है और ढाई साल में पूरा होने की उम्मीद है।

एनआईसी को जनवरी 2020 में अपने बजट से परियोजना को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के निष्पादन के लिए एनआईसी बजट में वित्तीय वर्ष 21-22 में लगभग 50-60 करोड़ की आवश्यकता हो सकती है।

एनईआरडीसी

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा काफी जोर दिया गया है। विजन डॉक्यूमेंट 'डिजिटल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया- विजन 2022' में परिकल्पना की गई है कि डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया डिजिटल इंडिया में एक अभिन्न भूमिका निभाएगा। इसने क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामरिक महत्व के प्रमुख क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित नौ प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसे डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया 2022 के उद्देश्यों को साकार करने के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि के अनुरूप एक अत्याधुनिक रेटेड III एनई क्षेत्रीय डेटा सेंटर 350 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुवाहाटी, असम में योजना बनाई गई है। 200 रैक एनई क्षेत्रीय डाटा सेंटर की स्थापना शुरू हो गई है और ढाई साल में पूरा होने की उम्मीद है। असम की राज्य सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए पहले ही तीन बीघा भूमि आवंटित कर दी है।

एमईआईटीवाई ने एनआईसीएसआई को परियोजना के लिए 348.66 करोड़ रुपये के प्रशासनिक अनुमोदन के विरुद्ध 10.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

<u>कार्यालय की जगह</u>

एनआईसी ने 1985-86 में अपना कार्यालय पुष्प भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया है। तब से, गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है और कार्यालय स्थान की आवश्यकता भी उसी के अनुसार बढ़ी है। एनआईसी को आज अतिरिक्त कार्यालय स्थान की तत्काल आवश्यकता है।

<u>डिजिटल भुगतान को बढ़ावा</u>

(सिफारिश क्रम सं. 14)

समिति ने नोट किया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देने के लिए बजटीय आवंटन में वर्ष 2021-22 के लिए उल्लेखनीय

वृद्धि की गई है। वर्ष 2021-22 के लिए 300 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि की तुलना में इस योजना को 1500 करोड़ रुपए, आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रस्तावित राशि की *तुलना* में इस योजना के आवंटन में पांच गुना वृद्धि के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अनिवार्य पहलू है। पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल भुगतान लेनदेन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2017-18 में कुल लेनदेन की मात्रा 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 4,572 करोड़ हो गई है। दिनांक 13 फरवरी, 2021 के अनुसार लगभग 4306 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन हासिल किए गए हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2020 के प्रभाव से यूपीआई और रूपे कार्ड लेनदेन पर एमडीआर को भी छूट दी है, जिससे बैंकों और फिनटेक द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश की आवश्यकता कम हो गई है। हालांकि डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन संभावनाएं अभी भी बहुत बड़ी हैं क्योंकि भारतीय बाजारों में नकदी का दबदबा बना हुआ है। प्रोत्साहन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही अप्रयुक्त बाजारों/खंडों/क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, डिजिटल भुगतानों को अपनाने पर जोर देने की निरंतर आवश्यकता है। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि 2017 में घोषित डिजीधन मिशन भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक रहा है। मिशन द्वारा उठाए गए अभिगम और कदमों में, व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भीम कैशबैक योजनाएं, भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना, भीम-यूपीआई मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग योजना, एमडीआर प्रतिपूर्ति योजना, डिजिटल भुगतान डैशबोर्ड का सृजन, वैश्विक स्तर पर भीम यूपीआई और रूपे स्वदेशी भुगतान समाधान को बढ़ावा देना शामिल हैं डिजिटल भुगतान आदि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अभियान। बढ़ते फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र, कोविड -19 से उपभोक्ता व्यवहार और वित्तीय समावेशन के आसपास सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण डिजिटल भुगतान 2025 तक कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। समिति यह भी मानती है कि डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि होने जा रही है और इस योजना के लिए बजट में वृद्धि सही दिशा में एक कदम है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में एमईआईटीवाई द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए, समिति कम-नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की सिफारिश करती है। समिति यह भी चाहती है कि

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अलावा, बढ़े हुए आवंटन को डिजिटल भुगतान के लिए सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र विकसित करने हेतु प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया जाए। समिति को की गई पहलों का विवरण प्रस्तुत किया जाए ।

सरकार का उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल लेनदेन की मात्रा बढ़कर 5,512 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2016-17 में 1,004 करोड़ थी । यूपीआई क्यूआर कोड जैसे संपर्क रहित भुगतान मोड से लैस, डिजिटल भुगतान सामाजिक दूरी के "नए सामान्य" की सराहना एनएफसी सक्षम कार्ड, कर रहे हैं। कोरोना वायरस संकट के दौरान, डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था को संचालित रखता है और लोगों को वायरस से संपर्क कम करने में मदद करता है।

भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में, बड़े उपयोगकर्ता आधार के साथ प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रत्येक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। यूपीआई क्यूआर कोड जैसे कम लागत वाले समाधान का उपयोग करके डिजिटल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद, इसमें और वृद्धि की संभावना है क्योंकि नकदी का प्रमुख बना हुआ है। इसलिए, अप्रयुक्त बाजारों/खंडों/क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, डिजिटल भुगतानों को अपनाने पर जोर देना जारी रखना महत्वपूर्ण है।

कम-नकद वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान के विकास को बढ़ावा देने हेतु एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, एमईआईटीवाई बहु-आयामी दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसे विस्तीर्णता इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. देश भर में नागरिकों द्वारा निर्बाध डिजिटल भुगतान और डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने के लिए सुविधाजनक डिजिटल भुगतान मोड और डिजिटल भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे का विकास ।

ख. डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए व्यापारियों और नागरिकों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान ।

ग. प्रचार अभियान, प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना ।

जहां ग्राहक तेजी से भुगतान के गैर-नकद तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। सुरक्षित, संरक्षित, सुलभ और किफायती भुगतान प्रणालियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के तहत उप-योजनाओं और परियोजनाओं की कल्पना और डिजाइन करते समय, डिजिटल भुगतान और शिकायत निवारण तंत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

<u>डिजिटल पेमेन्ट्स को बढ़ावा - सुरक्षा उपाय और शिकायत निवारण</u>

(सिफारिश क्र. सं. 15)

समिति नोट करती है कि जहां ग्राहक तेजी से भुगतान के गैर-नकद तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। सूचना के प्रचार-प्रसार और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई द्वारा आवधिक परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करने और सर्ट-इन द्वारा अलर्ट और परामर्शी निर्देश जारी करने जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। सूचना और शिक्षा अभियान के अलावा, डिजिटल भुगतान में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक है। एमईआईटीवाई ने उपभोक्ता मामले के विभाग (डीओसीए) के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) प्लेटफॉर्म के साथ इसका उपयोग करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय (एमओसीए) के साथ डिजिटल भुगतान शिकायतों को एकीकृत किया है। सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय सेवा संस्थान एनसीएच प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए हैं। प्लेटफॉर्म लाइव है और डिजिटल भुगतान संबंधी शिकायतें प्राप्त कर रहा है। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान और डेटा की सुरक्षा से संबंधित साइबर अपराध के शिकार व्यक्तियों के लिए किसी भी केंद्रीकृत हेल्पलाइन के बारे में पूछे जाने पर यह सूचित किया

गया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cyber crime.gov.in एमएचए द्वारा हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ प्रचालनरत है। यह पोर्टल सरकार द्वारा पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक पहल है।,यह पोर्टल ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी, रैंसमवेयर अपराधों से संबंधित शिकायतों पर भी कार्य करता है। जबकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार के लिए एक केन्द्र बिंदु है।। समिति यह नोट करके चिंतित है कि डिजिटल भुगतान से संबंधित मामलों से निपटने में एकीकृत दृष्टिकोण की कमी है और बढ़ते डिजिटल/ऑनलाइन लेनदेन के साथ, डिजिटल/ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन होने के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। जो न केवल भुगतान संबंधी साइबर अपराधों के शिकार पीड़ितों की मदद करेगा बल्कि ऐसे मामलों के तीव्रतर समाधान में भी मदद करेगा। साइबर अपराध के शिकार लोगों को बीमा कवरेज प्रदान करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए । समिति इन पहलुओं और उपकरण तंत्रों पर गृह मंत्रालय मंत्रालय के साथ अपने सहयोग बढ़ाने की सलाह देती हैं और वित्त मंत्रालय डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को नागरिकों के लिए और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए इस दिशा में उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

सरकार ने डिजिटल भुगतान लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आरबीआई, एक नियामक निकाय के रूप में, डिजिटल भुगतान में सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और विकसित करने के लिए बैंकों को नीतिगत दिशानिर्देश भी जारी कर रहा है। आरबीआई ने एक एकीकृत पोर्टल (https://cms.rbi.org.in/) विकसित किया है, जिसमें डिजिटल भुगतान से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), जो विभिन्न डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का प्रबंधन कर रहा है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। डिजिटल भुगतान से संबंधित साइबर अपराध संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए नागरिक संबंधित बैंकों में रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, नागरिक डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी को सामने लाने के लिए

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा प्रबंधित साइबर क्राइम पोर्टल (https://www.cybercrime.gov.in) का भी उपयोग कर रहे हैं

जैसा कि समिति ने सुझाव दिया है, डिजिटल/ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत नोडल एजेंसी/हेल्पलाइन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है, जो न केवल भुगतान संबंधी साइबर अपराधों के शिकार पीड़ितों की मदद करेगा बल्कि ऐसे मामलों के तेजी से समाधान में भी मदद करता है।

इस संबंध में, जल्द ही इन पहलुओं पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी और डिजिटल भुगतान पारिस्थिकी तंत्र को नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाएगा।

अध्याय - पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) - जनशक्ति की कमी</u>

(सिफारिश क्र. सं. 6)

समिति नोट करती है कि एनआईसी सरकार की आईसीटी आवश्यकताओं के लिए प्रमुख आधारभूत संरचना प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ई-शासन सेवाओं के प्रसार के साथ , एनआईसी के संसाधनों की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में, एनआईसी के पास 4212 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 3396 जनशक्ति/प्रौद्योगिकीविद/इंजीनियर हैं। एनआईसी में 1407 (अब फिर से विचार कर 1392 कर किया गया) पदों के सृजन का प्रस्ताव 2014 में शुरू किया गया था। प्रस्ताव को सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद माननीय इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और वित्त मंत्रालय को सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया । कुछ स्पष्टीकरणों के बाद, प्रस्ताव को फरवरी, 2020 में आगे के विचार के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फिर से प्रस्तुत किया गया था । अतिरिक्त जानकारी के लिए 10 फरवरी 2021 को प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से वापस प्राप्त हुआ है जिसे संकलित किया जा रहा है । वैज्ञानिक-बी और वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ए के स्तर पर लगभग 500 पदों को भरने के लिए भर्ती, जिसे 2020-21 के दौरान पूरा किया जाना था, प्रक्रिया में है और एनआईसी समूह-क (वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-एफ) में एस एंड टी अधिकारियों की भर्ती के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है जिसके लिए भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के लिए प्रमुख आईटी अवसंरचना प्रदाता के रूप में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद , समिति एनआईसी में जनशक्ति की कमी को दूर करने में मंत्रालय के उदासीन रवैये को देखकर चिंतित है एनआईसी में 1407 (अब फिर से विचार कर 1392 किया गया) पदों के सृजन का प्रस्ताव 2014 से लंबित है। वैज्ञानिक-बी और वैज्ञानिक / तकनीकी सहायक-ए स्तर पर लगभग 500 पदों को भरने के लिए भर्ती जो 2020-21 के दौरान पूरा होना था, प्रक्रिया में है

और एनआईसी में समूह-क (वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-एफ) में एसएंडटी अधिकारियों के लिए भर्ती नियम तैयार किए जा रहे हैं। एनआईसी में लंबे समय से लंबित जन शक्ति की कमी और धीमी गति से प्रगति कर रही भर्ती प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए समिति मंत्रालय से सभी लंबित भर्तियों में समयबद्ध तरीके से ठोस अनुवर्ती कार्रवाई के साथ एनआईसी में जनशक्ति आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा शुरू करने के लिए सिफारिश करती है। इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए ।

सरकार का उत्तर

एनआईसी में 1407 (अब फिर से विचार कर 1392 कर किया गया) पदों के सृजन का प्रस्ताव 2014 में शुरू किया गया था। प्रस्ताव को सभी स्तरों पर उचित विचार-विमर्श के बाद माननीय इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और वित्त मंत्रालय को सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया । कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए वित्त मंत्रालय से वापस प्राप्त प्रस्ताव की विधिवत गठित आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई है और विस्तृत स्पष्टीकरण फरवरी, 2020 में आगे के विचार के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से वित्त मंत्रालय को फिर से प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियों किया है और अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिसे प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए संकलित किया जा रहा है।

वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक के 207 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है और दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा किया जा रहा है। वैज्ञानिक-बी के 288 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अग्रिम चरण में है जहां लिखित परीक्षा समाप्त हो चुकी है और नाइलिट द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया शीघ्र ही आयोजित किए जाने की उम्मीद है, भले ही कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई हो।

समूह-क)वैज्ञानिक-सी से वैज्ञानिक-एफ (में एस एंड टी अधिकारी की भर्ती का प्रस्ताव शुरू किया गया है और नाइलिट को अग्रेषित किया गया है। समूह-क एस एंड टी अधिकारियों के लिए मसौदा भर्ती नियम तैयार किया गया है और चालू भर्ती के लिए वैज्ञानिक-बी और उससे ऊपर के स्तर के एस एंड टी अधिकारियों की नियुक्ति की सुविधा

के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

<u>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम - निधियों के अधिक आबंटन की आवश्यकता</u>

(सिफारिश क्रम सं- 9)

समिति नोट करती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को समाहित करता है। यह बड़ी संख्या में विचारों और मतों को एक एकल, व्यापक दृष्टि में बुनता है ताकि उनमें से प्रत्येक को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में लागू किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2019-20 में मंत्रालय ने रु.7931.14 करोड़ प्रस्तावित किए थे और बजट अनुमान आबंटन 3750.76 करोड़ रु. था । जिसे आरई स्तर पर घटाकर 3212.52 करोड़ रुपए कर दिया गया था और वास्तविक उपयोग 3191.09 करोड़ रु .था । वर्ष 2020-21 में 6940.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में मंत्रालय को 3958.00 करोड़ रुपये का बीई आबंटित किया गया था जिसे आरई स्तर पर घटाकर 3044.82करोड़ रु कर दिया गया था और वास्तविक उपयोग दिनांक 31.01.2021तक की स्थिति के अनुसार (1724.47 करोड़ रु.) रहा । कोविड -19 परिदृश्य को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई बजटीय बाधाओं के कारण वर्ष 2020-21 में कम उपयोग देखा गया। वर्ष 2021-22 में, 9527.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में मंत्रालय को 6806.33 करोड़ रुपये की कम राशि आबंटित की गई है। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा आवंटन के अच्छे उपयोग के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने एमईआईटीवाई द्वारा प्रस्तावित धन की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है। दो योजनाओं यानी ,साइबर सुरक्षा परियोजनाएं)एनसीसीसी और अन्य (और डिजिटल भुगतानों के संवर्धन को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित राशि से कम आबंटित किया गया है। यहां तक कि जिन दो योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन आबंटित किया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, में से पहली योजना को 2631.32 करोड़ रु .मिले जो कि प्रस्तावित राशि 4200.00 करोड़ रु.का

62.65% है। प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए, जो मंत्रालय की सभी उप-योजनाओं को एक साथ बुनता है, समिति सिफारिश करती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन वित्त मंत्रालय के साथ किया जाए ताकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्से वाली उप-योजनाओं के कार्यान्वयन में निधि की कमी के कारण विलंब न हो।

सरकार का उत्तर

माननीय समिति की टिप्पणियों को संज्ञान मे रखा गया है । कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के कारण व्यय के रुझानों को ध्यान में रखते हुए और वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में उचित स्तर (अनुपूरक मांग/ संशोधित अनुमान) पर धन के पर्याप्त आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा।

नई दिल्ली;
29 नवंबर, 2021
8 अग्रहायण, 1943 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट - दो

समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(सत्रहवीं लोक सभा)

(प्राक्कथन का पैरा सं. 5 *देखें*)

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :

सिफारिश क्रम सं.- 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12,13, 16 और 17

कुल 11

प्रतिशत 64.70

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

सिफारिश क्रम सं -.शून्य

कुल शून्य

प्रतिशत 0.00

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

सिफारिश क्रम सं.- 1, 5, 14 और 15

कुल 04

प्रतिशत 23.52

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं :

सिफारिश क्रम सं.- 6, 9

कुल 02

प्रतिशत 11.76